Thursday, 27 February, 1964

599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21-5-42
Parliament Library

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वादविवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक १४, गुरुवार, २७ फरवरी, १९६४/८ फाल्गुण, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१०२३—४८
*तारांकित प्रश्न संख्या		
३२९	भारतीय विनियोजन केन्द्र . . .	१०२३—२५
३३०	आंख की पुतली लगाना . . .	१०२५—२६
३३१	चेचक-रोधी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन .	१०२६—२८
३३२	सिंचाई क्षमता . . .	१०२८—३०
३३३	विदेशी मुद्रा की चोर बाजारी . . .	१०३०—३२
३३४	पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण .	१०३२—३५
३३५	नर्मदा घाटी निगम . . .	१०३५—३८
३३६	दिल्ली में नये जेनरेटिंग सैट . . .	१०३८—३९
३३९	तीसरी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन .	१०४०—४१
३४०	नगर प्रतिकरात्मक भत्ता . .	१०४२—४३
३४१	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यवहन . .	१०४३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.		
२.	पेनिसिलीन के इंजेकशन से मृत्यु	१०४६—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०४८—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
३३७	आहारपुष्टि कार्यक्रम	१०४८—४९
३३८	ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें	१०४९—५०
३४२	माताटीला बांध	१०५०
३४३	कुष्ठ निवारण दिवस	१०५०—५१
३४४	परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति . .	१०५१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 14—*Thursday, February*, 27 1964/*Phaguna* 8, 1885 (*Saka*)

	Subject	PAGE
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1023—48
*Starred Questions Nos.		
329	Indian Investment Centre	1023—25
330	Cornea Crafting	1025-26
331	Conference of Anti-small-pox Workers	1026—28
332	Irrigation Potential	2028—30
333	Black Market in Foreign Currency	1030—32
334	Loans of Displaced Persons from Pakistan	1032—35
335	Narmada Valley Corporation	1035—38
336	New Generating Sets in Delhi	1038-39
339	Mid-term Appraisal of Third Plan	1040-41
340	City Compensatory Allowance	1042-43
341	Working of Public Sector Undertakings	1043—45
S. N. Q. No.		
2.	Death due to Penicillian Injection	1046-48
Written Answers to Questions		1048—70
Starred Question Nos.		
337	Nutrition Programme	1048-49
338	Rural Water Supply Schemes	1049-50
342	Matatila Dam	1050
343	Anti-Leprosy Day	1050-51
344	Committee on Transport Policy and Coordination	1051

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४५	राज्य वित्त निगम	१०५१–५२
३४६	ग्राम विद्युतीकरण	१०५२
३४७	दण्डकारण्य विकास परियोजना	१०५२–५३
३४८	झेलम परियोजना	१०५३
३४९	दामोदर घाटी निगम	१०५३
३५०	तिब्बिया कालिज, दिल्ली	१०५४
३५१	कार्यालयों का चण्डीगढ़ ले जाया जाना	१०५४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६५२	फिल्म वित्त निगम	१०५५
६५३	पंजाब के नर्सिंग कालिज	१०५५
६५४	भाखड़ा बांध	१०५६
६५५	आंध्र प्रदेश में आयकर निर्धारण	१०५६
६५६	आंध्र प्रदेश में सम्पदा-शुल्क निर्धारण	१०५६–५७
६५७	हृद-वाहिका (कार्डियो-वस्क्यूलर) रोग	१०५७
६५८	हृदय विज्ञान (कार्डियोलाजी) का प्रशिक्षण	१०५७–५८
६५९	प्रीमियम इनामी बांड	१०५८
६६०	संसद् सदस्यों से बिजली और पानी का बकाया	१०५८
६६१	दिल्ली में जल सम्भरण	१०५९
६६२	दिल्ली में विस्थापित व्यापारी	१०५९–६०
६६३	खाद्य अपमिश्रण	१०६०
६६४	खाद्य पदार्थों की शुद्धता	१०६०
६६५	दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण	१०६१
६६६	वाराणसी में पकड़ा गया सोना	१०६१
६६७	स्वर्ण पदक	१०६१
६६८	ग्रामीण विकास	१०६२
६६९	दामोदर घाटी निगम	१०६२
६७०	तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना	१०६२
६७१	लोधी हाउस होस्टल, दिल्ली	१०६३
६७२	भुवनेश्वर के निकट तापीय बिजलीघर	१०६३
६७३	अनिवार्य जमा योजना	१०६४
६७४	बांधों में दरारें	१०६४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd*,

Starred Question Nos.	Subject	Page
345	State Financial Corporations	1051–52
346	Rural Electrification	1052
347	Dandakaranya Development Project . . .	1052–53
348	Jhelum Project	1053
349	D. V. C.	1053
350	Tibbia College, Delhi	1054
351	Shifting of Offices to Chandigarh . . .	1054

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
652	Film Finance Corporation	1055
653	Colleges of Nursing in Punjab.	1055
654	Bhakra Dam	1056
655	Income Tax Assessment in Andhra Pradesh .	1056
656	Estate Duty Assessment in Andhra Pradesh . .	1056-57
657	Cardio-Vascular Diseases	1057
658	Training in Cardiology	1056–58
659	Premium Prize Bonds	1058
660	Electric and Water Dues from M. Ps.	1058
661	Water Supply in Delhi	1059
662	Displaced Businessmen in Delhi . . .	1059–60
663	Food Adulteration	1060
664	Purity of Foodstuffs	1060
665	Food Adulteration in Delhi	1061
666	Gold Seized in Varanasi	1061
667	Gold Medals	1061
668	Rural Development	1062
669	D.V.C.	1062
670	Tawa Multipurpose Project	1062
671	Lodhi House, Hostel, Delhi	1063
672	Thermal Power Station near Bhubaneswar .	1063
673	Compulsory Deposit Scheme	1064
674	Breaches in Dams	1064

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या	
६७५ भाखड़ा में जल-विद्युत् केन्द्र	१०६४–६५
६७६ बाढ़ नियंत्रण	१०६५
६७७ झूठी हुंडियां	१०६५
६७८ यंत्रीकृत फार्म	१०६५–६६
६७९ उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को दूध का वितरण	१०६६
६८० पीलिया के बाद के प्रभाव	१०६६–६७
६८१ वेतन-क्रम	१०६७
६८२ इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्स	१०६७–६८
६८३ गैर-सरकारी निकायों के लिये सरकारी स्थान	१०६८
६८४ अन्दमान लोक निर्माण परिमंडल	१०६८
६८५ दिल्ली में टायफाइड और कनपेड के रोगी	१०६८–६९
६८६ ग्रामीण जल सम्भरण योजना	१०६९–७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आसाम में पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना	१०७०
श्री स्वैल	१०७०–७१
श्रीमती चन्द्र शेखर	१०७१–७२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	१०७२–७३
अनुदानों की मांगें (रेलवे)	१०७३—९२
श्री किशन पटनायक	१०७३–७४
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	१०७४–७५
श्री दासप्पा	१०७५—७७
श्री नम्बियार	१०७७—८२
श्री मुथिया	१०८३
श्री मी० रु० मसानी	१०८३–८४
श्री क० ना० तिवारी	१०८४–८५
श्री मान सिंह पृ० पटेल	१०८५
श्री बड़े	१०८५—९०
श्री जसवन्त मेहता	१०९०–९१
श्री दे० जी नायक	१०९१–९२

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
675	Hydel Power Stations at Bhakra	1064-6;
676	Flood Control	1065
677	Bogus Hundi Racket	1065
678	Mechanised Farms	1065-66
679	Milk Distribution to U. P. School Children	1066
680	After effects of Jaundice	1066-67
681	Pay Scales	1067
682	Nurses in Irwin Hospital, New Delhi	1067-68
683	Government Accommodation for Non-Government Bodies	1068
684	Andaman Public Works Circle	1068
685	Typhoid and Mumps Cases in Delhi	1068-69
686	Rural Water Supply Scheme	1069-70

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Seizure by police of explosives in Assam . . . 1070-71

Shri Swell Shrimati Chanderashekhar . . . 1070-71

Papers laid on the Table . . . 1071-72

Industrial Development Bank of India Bill—*Introduced* .

Business Advisory Committee
Twenty-fourth Report . . . 1072-73

Demands for Grants (Railways), 1964-65 1073—92

Shri Kishen Pattanayak . . . 1073-74

Shrimati Lakshmikanthamma . . . 1074-75

Shri Dasappa . . . 1075—77

Shri Nambiar . . . 1077—82

Shri Muthiah . . . 1083

Shri M. R. Masani . . . 1083—84

Shri K. N. Tiwary . . . 1084-85

Shri Man Singh P. Patel . . . 1085

Shri Bade . . . 1085—90

Shri Jashvant Mehta . . . 1090-91

Shri D. J. Naik . . . 1091-92

विषय	पृष्ठ
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	१०७८
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर घात लगा कर किये गये हमले के बारे में प्रस्ताव	१०९२—११०४
श्री नाथ पाई	१०९२-९३
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	१०९३-९४
श्री दाजी	१०९४
श्री नि० चं० चटर्जी	१०९४-९५
श्री यशपाल सिंह	१०९५
श्री म० ना० विद्यालंकार	१०९५-९६
श्री स० मो० बनर्जी	१०९६
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१०९६-९७
श्री बड़े	१०९७
श्री स्वैल	१०९८
श्री कपूर सिंह	१०९८-९९
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	१०९९-११००
डा० राम मनोहर लोहिया	११००
श्री श्याम लाल सर्राफ	११००-०१
श्री यशवन्त राव चह्वाण	११०१-०४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Subject	Page
Re : Calling Attention Notice	1078
Motion *re* : Ambush of Indian Police patrol men by Pakistani troops	1092—1104
Shri Nath Pai	1092–93
Shri Harish Chandra Mathur	1093–94
Shri Daji	1094
Shri N. C. Chatterjee	1094–95
Shri Yashpal Singh	1095
Shri A. M. Vidyalankar	1095–96
Shri S. M. Banerjee	1096
Dr. L. M. Singhvi	1096–97
Shri Bade	1097
Shri Swell	1098
Shri Kapur Singh	1098–99
Shri Prakash Vir Shastri	1099—1100
Dr. Ram Manohar Lohia	1100
Shri Sham Lal Saraf	1100-01
Shri Y. B. Chavan	1101—04

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, २७ फरवरी, १९६४/८ फाल्गुन. १८८५ (शक)

Thursday, February 27, 1964 / Phalguna 8, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय विनियोजन केन्द्र

+
*३२९. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जेधे :
श्री राम हरख यादव : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनियोजन केन्द्र के मंत्रणादाता हाल में पश्चिम यूरोपीय देशों की राजधानियों तथा व्यापार केन्द्रों में गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) विनियोजन केन्द्र के मंत्रणादाता द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से पता चलता है कि पश्चिम यूरोपीय देशों में समुद्रपार देशों में विनियोजन करने की मनोवृत्ति बढ़ने लगी है तथा भारत की स्थिति बड़ी अनुकूल है। क्योंकि विनियोजन के लिए उस के आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा व्यापक और विविध क्षेत्र उपस्थित कर दिये गये हैं तथा पश्चिम यूरोप से तकनीकी ज्ञान और पूंजी के संभाव्य प्रवाह में अच्छा भाग मिल सकता है। इसलिए मंत्रणादाता ने सिफारिश की है कि पश्चिम यूरोप में केन्द्र का एक कार्यालय खोला जाय ताकि वहां के जो लोग विनियोजन करना चाहते हैं उन्हें भारत में विद्यमान विनियोजन के अवसरों के बारे में बताया जा सके।

श्री रा० गि० दुबे : भारतीय विनियोजन केन्द्र के सलाहकार किन-किन स्थानों और संस्थाओं में गये तथा किन व्यक्तियों से मिले और उस की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विनियोजन केन्द्र का सलाहकार श्री जे० बी० बूरड्रेज यूरोपीय देशों में गये और उन्होंने वित्तीय संस्थाओं और औद्योगिक समवायों, निर्माताओं की संथाओं, वाणिज्य मंडलों के प्रबन्ध अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकार प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ ८४ मुलाकात कीं ? वह बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस तथा इटली भी गये ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बैया : क्या यह सही है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भी विदेशी सहयोग आमंत्रित करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो इन विदेशी विनियोजकों के पास कितने प्रतिशत अंश रहेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य के प्रश्न का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या इस सलाहकार ने जो यूरोप गये थे, इस बात के बारे में अपनी रिपोट में कोई सिफारिश की है कि विदेशी गैर-सरकारी वित्तीय सार्थ हमारे सरकारी क्षेत्र में धन लगाना चाहते हैं और क्या ऐसा किया जाना चाहिये ? इस के बारे में उन की क्या सिफारिश है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): उन्होंने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की । उन्होंने केवल यह उल्लेख किया है कि जिन बहुत से लोगों ने उन्होंने मुलाकात की थी, उन देशों में भारत के प्रति कुछ रुचि है ?

श्री दाजी : क्या कुछ ऐसी रुकावटों का उल्लेख किया गया है, जो विदेशी विनियोजकों द्वारा विनियोजन करने पर बाधक होती हैं और उन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : बहुत से लोग रुकावटों का उल्लेख करते हैं । हमारी प्रतिक्रियायें सामान्यतः बताई गई त्रुटियों के स्वरूप के अनुसार होती हैं—**(अन्तर्बाधा)**

श्री दाजी : मैं अपने प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में आपकी सहायता चाहता हूं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : 'रुकावट' शब्द स्वयं पूर्णतः व्यक्तिगत है । अध्यक्ष अथवा कोई और कैसे सहायता कर सकते हैं ?

Shri Yashpal Singh : Government feel that branches of this centre in foreign countries will be more beneficial ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Yes, Sir, Investment Centre has opened one of its branches in U.S.A. It is felt that the branches has proved to be very useful. So it has been decided to establish such branches in Europe also.

श्री हेडा : क्या सलाहकार ने यूरोप और अमरीका से गैर-सरकारी पूंजी आने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की रिपोर्ट पर विचार व्यक्त किया है और यदि हां, तो इस विचार की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्थिति को समझना चाहिये कि यह ऐसी संस्था है, जो यद्यपि सरकार द्वारा प्रवर्तित है, परन्तु इसे गैर-सरकारी लोग चलाते हैं और उन को जो सूचनायें प्राप्त होती हैं, उन को प्रकाशित करना उन का काम है। सरकार प्रत्यशत: चित्र में नहीं आती वह तो केवल उस बात की ओर ध्यान देती है जो उन की नीति संबंधी प्रश्नों से संगत हो।

आंख की पुतली लगाना

+

*३३०. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंख की पुतली लगा कर अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्धे व्यक्तियों को पुनः दृष्टि प्रदान करने के क्षेत्र में हाल के वर्षों में कुछ प्रगति हुई है और यदि हां, तो अब तक कितने अन्धे व्यक्तियों के नेत्रों में पुनः ज्योति ला दी गई है; और

(ख) इस प्रकार के लोकोपकारी कार्य में और सहायता करने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है : **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-२४१४/६४]**

श्री महेश्वर नायक : विवरण से पता चलता है कि कुल ४८० लोगों की आंखें ठीक की गई हैं जो बहुत अच्छा काम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के तत्वाधान में विविध राज्यों द्वारा प्रवर्तित नेत्र बैंक किस सीमा तक लोकप्रिय बने हैं और कहां तक वे लोगों से आंखों का दान प्राप्त करने में सफल रहे हैं ?

डा० द० स० राजू : इस प्रश्न का संबंध आंख की पुतली लगाने से है और इस का संबंध केवल विविध राज्यों में स्थापित किये गये नेत्र बैंकों से है।

श्री महेश्वर नायक : क्या मृत व्यक्तियों से भी पुतली निकाल कर लगाने का प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो क्या वह नेत्रहीन लोगों की दृष्टि को लौटाने में कामयाब हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): नेत्र बैंक वास्तव में उस पुतली का प्रयोग अधिक करते हैं जो मृत व्यक्तियों की आंखों से निकाली जाती हैं, किन्तु पुतली मृत्य के पश्चात् बहुत थोड़े समय के अन्दर ही निकाली जा सकती है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार ने अंधे लोगों की संख्या जानने का प्रयत्न किया है जिन की दृष्टि इस तरीके से लौट आई है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अंधे लोगों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखा है ?

डा० सुशीला नायर : अंधे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, कुछ पूर्णत: अन्ध हैं कुछ अंशत:। पुतली लगाने का काम पुतली की एक विशेष प्रकार की त्रुटि वाले लोगों में ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस प्रकार कितने लोगों की सहायता की जा सकती है। उन की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

श्री हे० जी० नायक: पुतली लगाने के लिए कितना शुल्क लिया जाता है ?

डा० सुशीला नायर : सरकारी अस्पतालों में, कोई शुल्क नहीं लिया जाता । जब गैर-सरकारी लोग यह काम करते हैं तो वे विशिष्ट राज्य तथा क्षेत्र के शुल्क के अनसार लेते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार की प्रचार व्यवस्था बहुत कमजोर होने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन नेत्र बैंकों को बलवान बनाने के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता प्राप्त करने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : स्वयंसेवी संगठन की सहायता का सदा स्वागत है और विशेषकर माननीय सदस्य की सहायता का, जो इन मामलों में बहुत सक्रिय हैं ।

Shri Sarju Pandey: May I know the name of the State in which the number of blind is the highest and whether Government propose to start more eye banks in those States?

Dr. Sushila Nayar: It appears that the hon. Member has not read the reply to the question. Government has started 13 eye banks. It is difficult to say in which State the numbers of the blind is the highest because the number of blind is related to the populaton.

चेचक-रोधी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन

+

*३३१. { **श्री भो० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक-रोधी आन्दोलन की प्रगति पर विचार करने के लिए समस्त देश के चेचक-रोधी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गये थे;

(ग) क्या सरकार के पास कोई प्रतिवेदन अथवा सिफारिशें भेजी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-२४१५/६४]**

(घ) आवश्यक कार्यवाही के लिये सिफारिशें सम्बन्धित सरकारों को भेज दी जायेंगी ।

Shri B. P. Yadav: It is a fact that the representatives who participated in the Conference have stated that the increase in the incidence of this disease is due to the shortage of doctors and medicines and the result is that majority of the people are not vaccinated, if so, what action the Government propose to take in this matter ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : No such impression was given in the Conference which has been mentioned by the hon. Member. On the other hand, it was stated in the Conference that the work could be done speedily. There is no question of doctors. Mostly vaccinators do this work and they are doing their jobs.

Shri Bhagwat Jha Azad : Has it been stated in the Conference as to what extent we have succeeded in eradicating small-pox as a result of launching anti-small pox campaign on a nationwide scale ?

Dr. Sushila Nayar : About 50 to 60 percent of people have been vaccinated. But it has been urged in this Conference that the percentage of vaccinations is not so important as the coverage done in a particular area, village or district where people were vaccinated. Everywhere the coverage should be 80 to 90 per cent. It is stated that the progress in this programme has been adequate and shortly we will be able to eradicate this disease.

Shri Yashpal Singh : How much assistance has been provided by W.H.O. in this programme and what contribution has been made by the Central Government out of their resources ?

Dr. Sushila Nayar : Government of India has spent near about 7 crores of rupees on it and the entire work is being carried out by the Central Government. Experts from the W.H.O. have been helping us in evaluation and in the matter of establishment of factories etc. for the production of vaccine. In addition, some vans and equipment has been provided by the U.N.I.C.E. F.Russia and others have given vaccine.

Shri Sheo Narain : Is it a fact that the use of Russian vaccine has enhanced the incidence of deaths ?

Dr. Sushila Nayar : No, Sir. It is not a fact. Russian vaccine has proved very useful and much success has been achieved. It is a fact that its reaction is somewhat more because it contains more potency.

श्री वे० जी० नायक : सम्मेलन की सिफारिशों में से कितनी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई है ?

डा० सुशीला नायर : स्वास्ज्य मंत्रालय द्वारा सिफारिशों को स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं। सिफारिशें मुख्यतया इस बारे में हैं कि काम को कैसे सुधारा जा सकता है। इस के अतिरिक्त बीमारी को कम करने के लिए कुछ अधिक बात की आवश्यकता की बात चल रही है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that in spite of vaccination on such a large scale the percentage of deaths is still high ? May I know the number of deaths during the current year in comparison to that during the corresponding period last year ?

Dr. Sushila Nayar : I have not got figures with me, but I know that the incidence has come down and where people have been vaccinated cases have almost come down to nil on almost all places. In certain places death rate has gone up to a certain extent because last year this disease took as epidemic form. If this precaution had not been taken on such a large scale, the incidence of deaths would have been still higher.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सम्मेलन ने इधर उधर जाने वाली जनसंख्या को टीके लागाने के बारे में और बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को टीके लगाने के संबंध में सिफारिश की है ?

डा० सुशीला नायर : जी हां, यह एक समस्या है । जिन जिलों में टीके लगाये गये हैं, बिन टीके लगे क्षेत्रों से आने वाले लोग समस्या पैदा कर देते हैं । इन घूमने वाले लोगों को टीके लगाने के बारे में कुछ सफारिशें की गई हैं ।

सिंचाई क्षमता

+

*३३२. { **श्री भी० प्र० यादव** :
श्री यवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हे० जी० नायक :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई क्षमता तथा राज्यों द्वारा इस का उपयोग किये जाने के बीच जो अन्तर है उस को कम करने के लिए सरकार का विचार कुछ कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उठाये जाने वाले कदमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४१६/६४]**

Shri B. P. Yadav : In which state irrigation protential has not been fully utilised, what are its reasons and what is the jab between irrigation protential and its utilisation.

डा० कु० ल० राव : मुख्यतः छः राज्यों में बड़ी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया । वे हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मैसूर और गुजरात । इसके मुख्य कारण ये हैं, पहला कि कुछ योजनाओं के लिए संग्रह सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई या जब व्यवस्था की गई उनको भरा नहीं रखा, जैसा कि भाखड़ा के मामले में, जहां जलाशय पूर्ण क्षमता तक नहीं भरा गया, अतः हम पूर्ण उपयोग नहीं कर सके । गुजरात में काकरापार तथा माही परियोजनाओं को अपने पूर्ण उपयोग के लिए संग्रह सुविधा की जरूरत है । दूसरा कारण यह है कि काली कपास भूमि पर हल्की सिंचाई की प्रथा है, इसी कारण हमें तुंगभद्रा परियोजना में पूर्ण उपयोग करने में कठिनाई अनुभव होती है । दूसरा कारण है कि काम पूरा नहीं हुआ जैसा कि बदुआ और माताटिला में, और क्षेत्रीय नालों का निर्माण भी नहीं हुआ ।

श्री जसवन्त मेहता : अन्तिम सर्वेक्षण कब किया गया था, वास्तविक उपयोगिता प्रतिशतता और वास्तविक क्षमता का ?

डा० कु० ल० राव : अन्तिम सर्वेक्षण १९६३ में किया गया था और पैदा की गई क्षमता एक वर्ष पहले की अर्थात १९६२ की है । हम १९६२ में बनाई क्षमता तथा मार्च १९६३ में उपयोग के आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं और इसमें २१ लाख एकड़ की कमी है । यह ८ प्रतिशत है ।

श्री वारियर : विवरण में बताया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर किसानों को पानी की दरों में रियायतें दी जाती हैं। क्या इसके संबंध में समान नीति है।

डा० कु० ल० राव : नवीन सिंचाई के लिये प्रत्येक राज्य को दी गई रियायत में अन्तर होता है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश में पहले वर्ष में कोई कर नहीं लगाया जाता, किन्तु बाद के वर्षों में इसको प्रति वर्ष पांचवें भाग बढ़ा दिया जाता है। दूसरे राज्यों में पहले वर्ष में कर नहीं होता किन्तु बाद के वर्षों में कुछ मामलों में तिहाई, कुछ में आधी वृद्धि की जाती है।

श्री विभूति मिश्र : बिहार के मामले में किस स्थान पर कितने जल का उपयोग नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं?

डा० कु० ल० राव : बिहार में मुख्य परियोजनाएं बदुआ तथा सोन हैं। बदुआ में काम पूरा नहीं हुआ, अतः क्षमता की जो कमी दिखाई गई है वह ठीक नहीं। सोन बांध नवीकरण के मामले में कुछ क्षेत्रीय नालों का निर्माण होना है।

Shri Tulsi Das Jadhav : The farmer in whose field channel is dug, objects to it, is any amendment being made in the land to remove the difficulty?

डा० कु० ल० राव : क्षेत्रीय नालों के संबंध में आठ राज्यों ने विधान पारित किया है, दो राज्य विधान पारित कर रहे हैं और अन्य राज्यों के विधान विचाराधीन हैं।

Shri Sarju Pandey : Farmers do not utilise on a large scale the loans advanced for minor irrigation and the money goes mostly waste. Has Government enquired into this matter ?

डा० कु० ल० राव : छोटी सिंचाई का प्रश्न कृषि मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये किन्तु दो दिन हुए छोटी सिंचाई परियोजनाओं की सीमा को १५ लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया गया है ताकि राज्यों में ये काम ट्रेस किये जा सकें।

Shri K. N. Tiwary : A few days back the Minister while replying to a supplementary question of mine had stated for that want of money the work of Gandock Project had been with held. Today he says that in Bihar, money has not been utilised. If the money has not been spent on other heads, why work on Gandak Project is withheld for want money ?

डा० कु० ल० राव: गंडक परियोजना के संबंध में मुख्य अड़चन धन की उतनी नहीं थी जितनी नेपाल तथा भारत सरकार के बीच छोटी बातों पर सममझौता होने की थी। यह अड़चन दूर हो गई है और अब बात तय हो गई है। मुझे आशा है कि अगले कुछ वर्षों में गंडक परियोजना काम बड़ी तेजी के साथ चलेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार कुछ राज्यों द्वारा किसानों को प्रारंभिक विकास चरण में जल दरों में दी गई रियायत से संतुष्ट हैं और क्या सरकार उन राज्यों को धन देने के लिये कुछ करने का विचार करती है, जो जल की दरों को नहीं घटा सकी है?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रियायती दरें नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य का सुझाव राज्यों को भेज दूंगा।

Shri Yashpal Singh : Government charges 19 nP. per unit for irrigation purposes and 3 nP. per unit for industrial purposes. What action is being taken by Government to remove this disparity in rates ?

Mr. Speaker : The hon. Member has come to electricity from water.

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister is prepared to reply to my question.

2422 (Ai) LSD—1.

Mr. Speaker : Until and unless machines are installed to produce electricity from water, how electricity can be generated ?

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि उपयोगिता तथा क्षमता के बीच कमी का एक बड़ा कारण यह है कि उपभोक्ता हिचकिचाते हैं और यदि हां, तो इस हिचकिचाहट के क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव : ऐसी बात नहीं है, अधिकांश मामलों में जल का उपयोग करने में किसानों को हिचकिचाहट नहीं ?

श्री लहरी सिंह : क्या सरकार अनुभव करती है कि किसानों को समुचित जल नाली व्यवस्था होने के कारण पानी लेने में बड़ी कठिनाई होती है और जल नालों के लिये भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है और यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान विधि में संशोधन करने का विचार करने को तैयार है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि कुछ मामलों में जल नालियां बनाने में भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों के कारण कठिनाई आती हैं। पहले अवसर में मैंने बताया था कि बहुत से राज्य इन नहरों को बनाने के लिये विधान पारित कर रहे हैं और तब लागत किसानों से वसूल कर ली जाएगी।

श्री शिवनंजप्पा: तुंगभद्रा में कमी बहुत अधिक है। समुचित संग्रह के अतिरिक्त क्या वह क्षमता के उपयोग न होने के अन्य कोई कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव: अन्य राज्यों की तुलना में अन्तर बहुत अधिक नहीं। मुख्य कारण यह है कि काली कपास भूमि में हल्की सिंचाई को अनुभव कम होने की है। इस मामले में हम इसका विस्तृत पैमाने पर प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विदेशी मुद्रा की चोरबाजारी

\+
*३३३. **श्री हेम बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शशिरंजन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक चोरबाजारी हो रही है तथा इसकी दरें एकदम बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा के दलाल इस के प्रयोजनार्थ पर्यटकों की खोज में रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख) दिल्ली में विदेशी मुद्रा की चोरी तथा इस संबंध में विदेशी मुद्रा के दलालों के पर्यटकों से मिलने के समाचार सरकार को मिले हैं। तथापि, चोरबाजारी दरों में एकदम वृद्धि की जानकारी सरकार के पास नहीं है।

(ग) भारत प्रतिरक्षा नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है जिससे कि विदेशी मुद्रा में अवैद्य व्यापार करने वालों के विरुद्ध शीघ्र और कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पुलिस विदेशी मुद्रा में इन चोरबाजारी करने वालों को गिरफ्तार करने में केवल इसलिये सफल नहीं हो सकी है कि गृह-कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में प्रभावशाली सहयोग नहीं है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: ये धारणायें सही नहीं हैं। सहयोग अधिकतम है। कोई कार्यवाही करने से पहले मामलों को सिद्ध करना पड़ता है और प्रवर्तन निदेशालय निश्चय ही इन मामलों को देखता है। परन्तु जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया, कोई अचानक वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु, क्योंकि इस ऋतु में पर्यटक आते हैं इसलिये ये समाचार सरकार को मिले हैं और यही कारण है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों में संशोधन किया गया है।

श्री हेम बरुआ : चूंकि ऐसी अवैद्य कार्यवाही की सूचनाएं सरकार को मिली है, क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा में इन चोरबाजारी करने वालों की कार्यप्रणाली के पता लगाने का प्रयत्न किया है और, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : काम करने के ढंग अनेक हैं जिनमें विदेशियों और दलालों के बीच सीधा सम्पर्क और कभी कभी जब कि विदेशी लोग नेक इरादों से भी यात्रियों के चैकों को दलालों द्वारा बदलवाते हैं तो दलालों द्वारा उन चैकों का दुरुपयोग किया जाना भी शामिल है। अतः विभिन्न बातों और विभिन्न मामलों का पता चलता है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह मंत्री का अनुमान है अथवा उन्होंने इसका मूल्यांकन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कोई निजी अनुभव नहीं है ?

Shri Yashpal Singh : May I know, whether Government have asked through literature or by framing rules, the tourists not to contact black-marketeers?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Yes the Director General of Tourism has been requested to inform the tourists in all the places visited by them that such exchanges are not proper.

श्री रा० बरुआ : अब तक सरकार को कितने मामलों की सूचना मिली है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: प्रवर्तन निदेशालय को पिछले ६ महीनों में दिल्ली में एक मामले का पता लगा है।

डा० रानेन सेन: क्या यह सच है कि कुछ विदेशियों का एक ऐसे गिरोह से सम्बंध है जो इस प्रकार की चोरबाजारी करता है और, यदि हां, तो इसके उन्मूलन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमारे पास कोई जानकारी नही है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा में चोरबाजारी का मुख्य कारण यह है कि भारतीय नागरिकों की उचित मांगें पूरी नहीं होती और यदि हां, तो नियमों में उदारता लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा इसलिये होता है कि हमारे नागरिकों को विदेशी मुद्रा दुर्लभता से मिलती है ।

श्री कपूर सिंह : उचित मांगें ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, जी हां ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): यह प्रश्न तो ऐसा है कि इसमें उत्तर देने का अर्थ यह होगा कि मैं कुछ बातें स्वीकार कर लूं । प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी पड़ेंगी । परन्तु मैं कहूंगा कि यह एक अपनी अपनी राय का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : असली प्रश्न दूसरे भाग में है ; क्या सरकार उन प्रतिबंधों में उदारता लाना चाहती है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं नियमों को उदार तो बनाना चाहता हूं, परन्तु मेरे पास इसके लिये संसाधन नहीं हैं ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन् मंत्री द्वारा कही गई बात मेरे प्रश्न में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति । उत्तर दे दिया गया है । श्री स्वैल ।

श्री स्वैल: श्री हेम बरुआ के प्रश्न के उत्तर में उपमन्त्री ने केवल अपने विचार बताये हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की चोरबाजारी करने वालों के काम के ढंग का अध्ययन किया है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि प्रवर्तन निदेशालय बराबर इसका अध्ययन करेगा, अन्यथा उसके होने का कोई कारण ही नहीं है ।

श्री हेडा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े बड़े होटलों में कुछ विशेष सार्थों और दुकानों को सरकारी दरों पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की जो अनुज्ञा दी गई है उससे उन्हें चोर-बाजारी करने का काफी अवसर मिलता है । ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य की जानकारी का स्वागत करता हूं ।

पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण

+

*३३४ { **स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री कोया :
श्री रामपुरे :
श्री चुनीलाल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ८० करोड़ रुपये के ऋणों को बट्टे खाते में डाल देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) ऋणों को बट्टे खाते में डालने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :(क) से (ग) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के सामान्य परिहार की कोई प्रस्थापना नहीं है। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या उन ऋणों को माफ कर दिया जाये और यदि हां तो कितना किया जाये।

श्री स० चं० सामन्त : वे ऋणों को वापस क्यों नहीं दे सके हैं। क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, यद्यपि ण लाभप्रद काम धंधों के लिये दिये गये थे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ऋण प्रारम्भिक अवस्थाओं में और अल्प राशियों में दिये गये थे। यही कारण है कि हम ऋणों को वापस नहीं ले सके हैं। परन्तु बाद की अवस्थाओं में ऋण सब बातों को ध्यान में रख कर सोच विचार करके दिये गये थे और हम समझते हैं कि इन ऋणों की वसूली में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वे ऋण बड़ी राशियों में दिये गये थे और वे समेकित ऋण थे और विशेष परियोजनाओं के लिये थे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि ऋण किश्तों में दिये गये थे न कि बड़ी राशियों में और इसलिये जिस प्रयोजन के लिये वे दिये गये थे वे लोग उन ऋणों का उपयोग नहीं कर सके ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं बता चुका हूं कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में ऋण अल्प राशियों में दिये गये थे और वे छोटे ऋण थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिकर के रूप में कोई धन नहीं दिया गया है। पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों को बट्टेखाते में डाला जा सकता है अथवा नहीं इस बारे में सरकार ने अभी तक नीति सम्बन्धी निर्णय क्यों नहीं किया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ये दोनों बातें सर्वथा भिन्न हैं। प्रतिकर देने का ऋणों के परिहार से कोई सम्बन्ध नहीं है । पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिकर दिया गया है क्योंकि वहां पर निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानून है। पश्चिमी क्षेत्र में निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी कोई कानून नहीं है। दोनों प्रधान मन्त्रियों के समझौते के अन्तर्गत, जो कि नेहरू-लियाकत समझौते के नाम से सुविख्यात है, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति अपनी सम्पत्ति कायम रख सकते हैं, किराया वसूल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मन्त्री महोदय ने पश्चिमी बंगाल सरकार से पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के माफ करने के प्रश्न पर कई बार बातचीत की है, और क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह सिफारिश की है कि इन ऋणों को एक विशेष सीमा तक माफ कर दिया जाना चाहिये और बट्टे खाते में डाल देना चाहिये ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी, हां । हमने अस्थायी निर्णय किया है कि ऋणों को एक विशेष सीमा तक बट्टे खाते में डाल देना चाहिये और उस सीमा से आगे के ऋणों को कम कर दिया जाना चाहिये। हम, हमारे सामने रखे गये सुझावों के वित्तीय विवरणों के पता लगाने का यत्न कर रहे हैं। एक या दो मास पहले मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री से मुझे इन ऋणों के आंकड़े देने के लिये कहा था। आंकड़ों के प्राप्त होने पर सरकार पक्का निर्णय करने की स्थिति में हो जायेगी ।

Shri Bibhuti Mishra : The refugees Coming from East Pakistan in our District are in a slightly better position, but the refugees from East Pakistan, who have been rehabilitated, on in my District are in a miserable condiion. Keeping this in view have the Government considered to remit their oans ?

Shri Mehr Chand Khanna : Yes, I have answered the same that the refugees coming from East Pakistan are not in a good condition ; Therefore, we are considering whether their loans should be remitted to a certain extent or in full.

Shri Kashi Ram Gupta : The Government had promised to remit the loans of those refugees who were rehabilitated by providing lands and whose claims were of small amounts. May I know whether they have also been included in the matter under consideration.

Shri Mehr Chand Khanna : Probably, the hon. Member is referring to the refugees coming from West Pakistan.

Shri Kashi Ram Gupta: Some of the East Pakistan refugees have been rehabilitated in Alwar and Bharatpur. The Government had promised to remit the loans of those refugees whose claims were below the amount of Rs. 20,000. May I know whether their case is also under consideration in this matter ?

Shri Mehr Chand Khanna : I think what the hon. Member has said is not correct. The refugees who have been rehabilitated in Alwar and Bharatpur were previously living in rural areas. Their position is this that they have been provided with lands in lieu of lands left behind by them in Pakistan.

Shri Kashi Ram Gupta : It is not so.

Shri Mehr Chand Khanna : May I submit that we have provided lands for rehabilitation to persons who did not own lands previously and we have also given loans which have to be realised. But in this regard we have taken a decision in consultation with Rajasthan Government, I do not know the details, and some orders have been given. But I am not in a position to reply today in that regard.

श्रीमती सावित्री निगम : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्तियों की हालत बिल्कुल भिन्न है और वे पाकिस्तान में जाकर अपनी सम्पत्ति बेच सकते हैं। वर्तमान चिन्ताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या कोई व्यक्ति यह आशा कर सकता है कि वे पाकिस्तान जा सकते हैं और अपनी सम्पत्ति बेच सकते हैं। सरकार ने उन्हें और सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : वह मामले पर तर्क कर रही हैं न कि जानकारी मांग रही हैं।

डा० रानेन सेन : यह एक सुविदित बात है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये अधिकांश विस्थापित व्यक्तियों को कोई पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया और न ही कोई प्रतिकर अथवा पर्याप्त ऋण दिये गये। जो भी ऋण दिये गये उनकी राशि बहुत अपर्याप्त थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऋणों को बट्टेखाते में डालने के प्रश्न पर फिर से विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

श्री कपूर सिंह : बिना वसूल किये गये ऋणों की ८० करोड़ रु० की राशि बताई गई है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बारे में यह राशि अलग अलग कितनी है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को लगभग ६० करोड़ रु० की राशि दी गई थी। इन ऋणों की अधिकांश राशि सरकारी बकाया राशि के रूप में मान ली गई है। उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये दावों के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया था। अतः उस हिसाब में ऋण का एक बड़ा भाग वसूल किया जा चुका है। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, वह कुल राशि लगभग ८० से ८२ करोड़ रु० है और इसका एक बहुत छोटा भाग—शायद चन्द करोड़ ही हो—वसूल किया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ऋणों को अधिकतम किस सीमा तक बट्टे खाते में डालने का विचार है और कहां तक वे ऋण कम कर दिये जायेंगे ? आप क्या विचार कर रहे हैं :

श्री मेहर चन्द खन्ना : क्योंकि इसमें बड़े वित्तीय उलझनें हैं, इसलिये ज्यों ही हमें पश्चिमी बंगाल से उत्तर प्राप्त हो जायेगा हम अन्तिम निर्णय करने की स्थिति में हो जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : उन विस्थापित व्यक्तियों के अतिरिक्त जो कि पश्चिमी बंगाल में हैं, विस्थापित व्यक्ति उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी हैं जिनको १००० रु० अथवा ५०० रु० के भी छोटे ऋण दिये गये थे। क्या उनके मामलों में भी ऋणों को बट्टे खाते में डाला जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : पश्चिमी बंगाल में बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो भी निर्णय किया जायेगा वह निर्णय आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों पर भी लागू होगा। यह निर्णय केवल उन विस्थापित व्यक्तियों पर लागू होगा जो पहले से भारत में आ चुके हैं और हम नये विस्थापित व्यक्तियों को अभी उस स्तर पर नहीं ले रहे हैं।

श्री स्वैल : माननीय मन्त्री ने कहा कि उन्होंने इन ऋणों की कुछ मात्रा को बट्टे खाते में डालने और कम करने के प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री से बातचीत की है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन विस्थापित व्यक्तियों का क्या हाल होगा जो आसाम में आये हैं। क्या वह इस सम्बन्ध में आसाम सरकार से बातचीत कर रहे हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम उनके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे।

नर्मदा घाटी निगम

+

*३३५. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जसवंत मेहता :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, गुजरात तथा केन्द्रीय सरकार के बीच नर्मदा घाटी निगम के बारे में जो करार हुआ था, क्या उस का मध्य प्रदेश तथा गुजरात की सरकारों ने अनुसमर्थन कर दिया है या उस में रूपभेद किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या इस परियोजना में महाराष्ट्र सरकार की भी रुचि है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) नर्मदा नदी से संबंधित कुछ योजनाओं की क्रियान्विति के लिये कुछ अस्थायी निर्णय किये गये थे। गुजरात सरकार ने उन निर्णयों के साथ सहमति प्रकट की है। मध्य प्रदेश ने कुछ अग्रेतर तकनीकी जानकारी मांगी है। वह उन्हें दे दी गई थी।

(ग) जी हां। महाराष्ट्र की नर्मदा परियोजनाओं की बिजली से कुछ लाभ उठाने में रुचि है।

श्री हरि विष्णु कामत : हाल हीं के वर्षों में दामोदर घाटी निगम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन को ध्यान में रखते हुए नर्मदा घाटी निगम के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है--मेरा अर्थ नर्मदा घाटी परियोजना से है ?

डा० कु० ल० राव : हम अब कोई निगम स्थापित नहीं कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा तात्पर्य नर्मदा घाटी परियोजना से था।

डा० कु० ल० राव : मध्य प्रदेश में काम मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जायेगा और गुजरात में काम गुजरात राज्य द्वारा किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार इस परियोजना के लिये शीघ्र ही एक खाका बनाना चाहती है और यदि हां, तो कब जिस के अन्दर इस के सभी तकनीकी, वित्तीय और राजनीतिक आर्थिक विवरण भी हों, और क्या परियोजना के लिये सभापति और अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों के संबंध में कोई निर्णय किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने निवेदन किया, कोई निगम बनाने का विचार नहीं है। परन्तु इस नदी पर अधिकांश परियोजनाओं के लिये सभी ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि इन परियोजनाओं से कितनी बिजली बनाई जायेगी और कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। हमें इन की केवल क्रियान्विति करनी है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या अधिकारियों के प्रश्न पर अस्थायी रूप से निर्णय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे जनना चाहते हैं कि क्या नामों के संबंध में निर्णय कर लिया गया है।

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं ने बताया, कोई निगम स्थापित करने का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी परियोजना का काम करना र।

श्री बड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि नर्मदा घाटी परियोजना बोर्ड कितनी परियोजनायें आरम्भ कर रहा है, और वह कौन सी परियोजना पहले आरम्भ करेगा ?

डा० कु० ल० राव : श्रीमन्, मैं फिर निवेदन करता हूं कि हमारा कोई बोर्ड बनाने का विचार नहीं है।

श्री बड़े : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि बोर्ड होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम मंत्री की बात सुनेंगे।

डा० कु० ल० राव : मैं निवेदन करता हूं कि यह सही नहीं है। गुजरात की परियोजनाओं का काम गुजरात सरकार द्वारा किया जायेगा। उस की एक नवगाम परियोजना है। इसका कार्य वह करेगी। मध्य प्रदेश में परियोजनायें बड़ी संख्या में हैं। इन का कार्य मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यदि इन कार्यों के करने के लिये उसे कोई सहायता चाहिये तो हम वह सहायता देने के लिये तैयार हैं। अब मध्य प्रदेश में तवा, बरगी और पुनासा की तीन परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना होगा।

श्री जसवन्त मेहता : वे कौन सी बात थीं जिन पर कि मध्य प्रदेश सरकार ने करार का अनुसमर्थन करने में हिचकिचाहट की और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये आपत्तियां उठाने के पश्चात् भारतीय सरकार क्या कार्यवाही करना चहती है ? क्या सरकार एक नया निर्णय करने के लिये एक नया सम्मेलन बुला रही है अथवा क्या भारत सरकार इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना चाहती है क्योंकि इस परियोजना में बहुत समय लग गया है।

डा० कु० ल० राव : मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अग्रेतर जानकारी, कुछ स्पष्टीकरण और अग्रेतर तकनीकी जानकारी मांगी थी। वह गत सप्ताह दी गई है। मेरा विचार है कि नर्मदा के सम्बन्ध में कोई ऐसा गंभीर मतभेद नहीं है जिसे सरलता से दूर नहीं किया जा सकता।

श्री जसवन्त मेहता : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : दो या तीन प्रश्न थे।

श्री जसवन्त मेहता : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये कि क्या भारत सरकार नर्मदा परियोजना के अन्तिम हल के लिये तीन राज्यों का एक नया सम्मेलन बुलाना चाहती है।

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, इन मतभेदों को दूर करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी और, यदि आवश्यक हुआ तो स्वभावतः भारत सरकार पहल करेगी और इन मतभेदों को सम्मेलन में आगे बातचीत कर के दूर करेगी :

श्री पु० र० पटेल : केन्द्रीय, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों के बीच अस्थायी करार हुआ था जिस का सभापतित्व भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री ने किया। क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या आपत्तियां उठाई, क्या केन्द्र ने उन की जांच कर ली है और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

श्री बड़े : वे तकनीकी आपत्तियां हैं ?

डा० कु० ल० राव : मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण और कुछ अधिक तकनीकी जानकारी मांगी थी।

श्री पु० र० पटेल : क्या तकनीकी जानकारी ?

डा० कु० ल० राव : अस्थायी निर्णय के पूर्णतया अनुसमर्थन करने से पहले उन्होंने कुछ तकनीकी जानकारी मांगी थी। मुख्य बात यह थी, उन्हें नवागम परियोजना के संबंध में ब्यौरे चाहिये थे—ऊंचाई परियोजना के अन्तर्गत लाभ आदि। ये गुजरात सरकार से प्राप्त कर लिये गये हैं और गत सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिये गये हैं।

Shri Vishwanath Pandey : Do Government propose to set up a Power Project in Maharashtra State also under Narmada Damodar Valley Corporation ?

डा० कु० ल० राव : नर्मदा नदी के क्षेत्र में महाराष्ट्र के पास बहुत छोटा सा भाग है और उस की सीमा में कोई प्रत्यक्ष परियोजना नहीं है। किन्तु जहां तक मुख्य नदी की दिशा में इस क्षेत्र के जल-प्रवाह का सम्बन्ध है, वे नर्मदा विकास से प्रसूत बिजली में हिस्सा बटाने की मांग कर रहे हैं। उस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा।

दिल्ली में नये जेनेरेटिंग सेट

+

*३३६. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना में नये जेनरेटिंग सेट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने सेट लगाये जायेंगे तथा उनकी बजली तैयार करने की कितनी क्षमता होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) १२० मेगावाट वाले दो यूनिट ।

Shri Yashpal Singh : Has the Punjab Government been consulted in this matter or will any work be undertaken with their collaboration?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली के सम्बन्ध में वास्तव में हमने पंजाब सरकार के साथ बातचीत कीथी क्योंकि यह उत्तरी ग्रिड का एक भाग है। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझा कि माननीय सदस्य इस बारे में क्या पूछना चाहते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि भाखड़ा परियोजना से हमें लगभग ४० मैगावाट बिजली मिलेगी और दिल्ली के तापीय विद्युत स्टेशन में ५० मैगावाट बिजली पंजाब के लिये अलग से रखी जायेगी।

Shri Yashpal Singh : What is the total expenditure involved in it and by when this work will be completed ?

डा० कु० ल० राव : जसा कि मैंने पहले बताया है, चौथी योजना में हम १२० मैगावाट वाले दो यूनिट स्थापित करेंगे। यह अजमाइशी है और अभी सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा मंजूर किया जाना है और मुझे आशा है कि यह चौथी योजना के अन्त से पहले ही तैयार हो जायेगी।

श्री कपूर सिंह : यह बात मुझे पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि बिजली तैयार करने वाले ये यूनिट तापीय विद्युत के होंगें अथवा जल विद्युत् के।

डा० कु० ल० राव : दिल्ली के ये तापीय-विद्युत् स्टेनशन होंगे।

Shri Vishwanath Pandey : Will the scarcity of power in Delhi be removed by the establishment of this generator ?

डा० कु० ल० राव : जी, हां। जिन पयोजनाओं का कार्य आरम्भ हो गया है यदि वे भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जाये, जिसकी कि आशा है कि हम पूरा कर सकेंगे

तो बहुत सी बिजली फालतू भी बच रहेगी। हमें एसी आशा है कि यह फालतू बिजली उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उपयोग किये जाने के लिये उपलब्ध हो सकेगी।

श्री भागवत झा आजाद : चौथी योजना के नये प्रस्तावों और इस प्रस्ताव में भी क्या भविष्य की मांग को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो चौथी योजना में जो यह नई परियोजनायें बनाई जा जरही हैं उनके नव निर्माण से भावी मांगों को कहां तक पूरा किया जा सकेगा ?

डा० कु० ल० राव : सारी मांग को ध्यान में रखा गया है; आशा है कि फिर भी १९६६–१९६७ में हमारे पास १०० मैगावाट फालतू बिजली होगी।

श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार यह बता सकती है कि जब यह बिजलीघर चालू हो जायगा तो, पंजाब से पृथक दिल्ली नगर की बिजली में अत्म-निर्भरता के बारे में क्या स्थिति होगी ?

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली की आत्म-निर्भरता के बारे में उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री महेश्वर नायक : मेरा प्रश्न यह है कि क्या पंजाब से विद्युत् सम्भरण के बिना ही वह आत्म-निर्भर होगा ?

डा० कु० ल० राव : पंजाब के लिये इसकी कमी होगी और यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हम विचार कर रहे हैं कि यह कमी किस प्रकार से दूर की जाये। हमें आशा है कि इस कमी को अंशतः तो हम उस फालतू बिजली से पूरा कर सकेंगे जो कि दिल्ली में उपलब्ध होगी और अंशतः ब्यास-सतलुज लाइन पर बिजली उत्पादन को तीव्र करके उसको पूरा करेंगे।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that in view of Delhi's need these generating sets are being installed here and do Government propose to install such sets in agricultural sectors during the Fourth Five Year Plan which mainly depends on the development of agriculture and if so, at what places ?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली नगर में कृषि उम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त बिजली है।

श्री शिव चरण गुप्त : बिजली तैयार करने की विद्यमान क्षमता कितनी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में इसमें कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

डा० कु० ल० राव : इस समय हमारे पास १०१ मैगावट तापीय विद्युत् है। पंजाब से हम ६० से लेकर ७० मैगावाट तक बिजली ले रहे हैं–बहुत सी बार हमें ६० मैगावाट मिलती है और कभी कभी ७० मैगावाट भी मिलती है––और इस प्रकार कुल योग १६० मैगावट है। १९६५ में हम १५ मैगावाट वाला एक यूनिट स्थापित कर रहे हैं और १९६६ तक ५० मैगावाट वाले दो सैट, अर्थात् कुल १०० मैगावाट के, स्थापित कर देंगे।

तीसरी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

+

*३३९. { श्री विभूति मिश्र :
श्री हेडा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने तीसरी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन द्वारा लक्षित अनुवर्ती कार्यवाही के प्रयोजनार्थ गहन अध्ययन के लिये कुछ उद्योग क्षेत्र चुने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो व क्षत्र कौन-कौन से हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जब कि योजना आयोग मध्यावधि मूल्याकन द्वारा लक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की समस्या की जांच कर रहा है, कुछ उद्योगों का हाल ही में उनके विकास को तेज करने की दृष्टि से विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है ।

(ख) इन उद्योगों में लोहा तथा इस्पात, अलौह धातुऐं जैसे कि अल्यूमीनियम तथा तांबा, तेल, उर्वरक, सीमेंट और बिजली के भारी सामान की कुछ मदें आती हैं ।

श्री विभूति मिश्र : तीसरी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात् कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह प्रश्न केवल उद्योग के सम्बन्ध में है ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार का उत्तर गलत है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : प्रश्न का भाग (क) कुछ उद्योग-क्षेत्र के बारे में है ।

श्री विभूति मिश्र : कुछ ऐसे कृषि उत्पाद हैं जो कि उद्योग में उपयोग किये जाते है, जैसे कि जूट, कपास, गन्ना आदि ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : हमारा केवल उन्हीं मदों से सम्बन्ध है जिनका कि यहां उल्लख किया गया है ।

श्री दे० जी० नायक : तृतीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वह ग्राम्य औद्योगीकरण कार्यक्रम का एक भाग है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इसके कार्यक्षत्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्यांकन भी आ गया है और यदि हां, तो उनकी नवीनतम प्रगति क्या है ?

श्री चे० रा० पटटाभिरामन : सभी परियोजनायें इसमें आती हैं, गैर-सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की ।

Shri Sheo Narain : May I know as to what are the few sectors of industries referred to by you?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : कच्चा लोहा, मिश्रित इस्पात, अलोह धातुएं, भारी इंजीनियरिंग, तेल, उर्वरक और सीमेंट ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या अब से लेकर योजना और उसकी कार्यान्विति का वार्षिक मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है जैसा कि बहुत से विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह प्रश्न वास्तव में तीसरी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन और योजना की कमियों के बारे में है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : तांबा, जस्ता, रांगा आदि जैसी अलोह धातुओं का निर्माण करने के लिये अब तक देश में जो कच्चा माल उपलब्ध है क्या उसका अगली योजना में भी उपयोग किया जायगा और यदि हां

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जी, हां . . .

श्री श्यामलाल सर्राफ़ : अभी तो मैंने अपना प्रश्न पूरा भी नहीं किया है । और यदि हां, तो क्या तैयारियां की जा रहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर मिल ही चुका है और वह पर्याप्त होना चाहिये ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या योजना आयोग द्वारा किया जाने वाला गहन अध्ययन केवल विद्यमान उद्योगों के सुधार अथवा समेकन तक ही सीमित है अथवा यह उद्योगों के विस्तार के बारे में भी है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में, उन उद्योगों में उत्पादन की गति को तीव्र करने के लिये जो कि देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित प्रशासनकि मंत्रालयों के साथ परामर्श किया है ।

श्री भागवत झा आजाद : योजना आयोग द्वारा बताई गई बहुत सारी त्रुटियों में से केवल कुछ को ही अनुवर्ती कार्यवाही के लिये क्यों चुना गया है ? जिन अन्य क्षेत्रों में यह त्रुटियां बहुत भारी हैं उनमें अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है । यह विशेष प्रश्न उद्योगों से सम्बन्धित है । वास्तव में इन अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप, तीसरी योजना में पूर्वकल्पित कार्यक्रमों के पूरे पूरे लाभ इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के केवल एक अथवा दो वर्ष पश्चात् ही मिल सकेंगे और वह भी प्रारम्भ में पूर्व कल्पित लाभों की तुलना में कम ही होंगे । वे उस कमी को पूरा करना चाहते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : इससे मेरे प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं मिला । क्या मैं जान सकता हूं कि जो असंख्य त्रुटियां बताई गई हैं उनमें से केवल कुछ ही को अनुवर्ती कार्यवाही के लिये क्यों चुना गया है ? क्या मैं यह समझ लूं कि अन्य क्षेत्रों में अनुवर्ती कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी कार्य करने की आवश्यकता सरकार को नहीं है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह अध्ययन उद्योगों में त्रुटियों से सम्बन्धित है । इन अनेक मदों के बारे में अध्ययन किया जाता है जिनका कि मैंने उल्लेख किया है ।

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता

+

*३४०. **श्री रा० बरुआ :**
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने संघ सरकार से कहा है कि हाल में ही पुनर्वर्गीकृत विभिन्न नगरों के सरकारी कर्मचारियों को देय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते पर होने वाले व्यय का ५० प्रतिशत अंश वह (संघ सरकार) वहन करे ;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र को किन राज्यों ने लिखा है ; और

(ग) इस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख) जी, नहीं, परन्तु राजस्थान सरकार ने, जो कि अपने कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता देना चाहती है, उसकी लागत को पूरा करने के लिये केन्द्र से सहायता मांगी है ।

(ग) भारत सरकार इस दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकती ।

श्री रा० बरुआ : कितने राज्यों में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा क्रियान्वित किया गया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने कहा था कि नहीं और मैंने यह भी बताया था कि केवल राजस्थान सरकार ने ही केन्द्रीय सहायता के लिये प्रार्थना की थी ।

श्री रा० बरुआ : कितने राज्यों में प्रतिकरामक भत्ता दिया गया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस सम्बन्ध में जांच करना तथा फिर उसे क्रियान्वित करना तो स्वयं राज्य सरकारों का ही कार्य है।

श्री रा० बरुआ : बढ़े हुए प्रतिकरात्मक भत्ते को निर्धारित करने के लिये क्या मापदण्ड था ? क्या वह केवल जनसंख्या के ही आधार पर था अथवा अन्य किसी आधार पर भी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने अवश्य ही एक निश्चित आधार पर प्रतिकरात्मक भत्ता दिया है और ये आधार भारत सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू हैं ?

श्री हेम बरुआ : वह आधार क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है। यदि मुख्य प्रश्न में एक बिलकुल ही अलग प्रश्न उठाया जाता है तो वह तो बिलकुल ही एक दूसरा मामला होता है।

श्री हेम बरुआ : भारत सरकार का इसका आधार क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के लिये कुछ और नगरों को ऊंची श्रेणी में रखने का सरकार का विचार है अथवा पहले जो सूची दी गई है वह अन्तिम है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में पहले कहा है कि इस चीज़ की निरन्तर जांच की जा रही है और प्रस्ताव कितना न्यायसंगत है इसके अनुसार इस बात की जांच की जायेगी।

Shri Kashi Ram Gupta : What is the main basis of the demand placed by the Rajasthan Government and was that demand for a fixed period only or for all time to come ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Rajasthan Government have asked for the Central assistance worth more than Rs. 1 crore as they want to make an increase in the D.A. payable to their employees. The Government of India have stated that keeping in view their available resources it will not be possible for them to help the States in this matter.

Shri Kashiram Gupta : What was the main basis of their demand ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The basis was that, as an increase had been made in the D.A. payable to the Central Government employees and as the prices were increasing, they also wanted to give something more to their employees.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वृहत्तर कलकत्ता के चारों ओर की नगरपालिकायें नगर प्रतिकरात्मक भत्ता योजना के अधीन नहीं आतीं, क्या सरकार, जिसके सामने यह मामला बहुत दिनों से रहा है, इस बात पर विचार कर रही है कि इस मामले में क्या करना है, कि क्या नगर प्रतिकरात्मक भत्ता उन लोगों को भी दिया जायेगा क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्वाह-व्यय इतना अधिक है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करना बंगाल सरकार का काम है।

Shri Bade: City Compensatory allowance is given on the basis of the index for the cost of living. Have Government issued instructions to the States that a new index may be got prepared as the present index on the basis of which C.C.A. is being given is wrong?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : There are so many things like population, increase in the prices, changes in the areas of the cities etc., on the basis of which it is given. It is based on all these things. Where an index is proved to be wrong, action is certainly taken to correct it.

Shri Bade : Has any direction been issued ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Informations received regarding index are that they are correct. The question of getting them corrected arises only if it is reported that they are wrong. If such an information is received then we try to correct the index.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यवहन

*३४१. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही वित्त मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता तथा लाभकारिता का पता लगाने के उद्देश्य से उनकी जांच की है ;

(ख) इस जांच के मुख्य परिणाम क्या निकले तथा किन उपक्रमों के कार्यवहन का पुनर्विलोकन किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के अतिरिक्त केवल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी ही ऐसा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम था जो दक्षता तथा लाभकारिता के परीक्षणों में खरा उतरा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): श्रीमन्, ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या इन उपक्रमों की वित्तीय लाभकारिता, उत्पादन में उनकी क्षमता तथा अन्य बातों का पुनर्विलोकन करने का कोई साधन वित्त मंत्रालय के पास है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परियोजनाओं की प्रगति और विभिन्न यूनिटों द्वारा किये जाने वाले प्रसार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पाक्षिक तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों का पुनर्विलोकन प्रशासकीय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक समन्वय विभाग दोनों ही के द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त, परियोजनाओं के वित्तीय सलाहकारों द्वारा त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्टें भी तयार की जाती हैं तथा वे निदेशकों के बोर्ड द्वारा मंजूर की जाती हैं । प्रशासकीय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का आर्थिक समन्वय विभाग इनका भी निरन्तर पुनर्विलोकन करता है। इसके अतिरिक्त, हम इन मामलों मे तदर्थ अध्ययन भी करते हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या इन पाक्षिक और अन्य रिपोर्टों के आधार पर अनेक प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों को एकत्रित करने का भी कोई प्रयत्न किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वित्त मंत्रालय के आर्थिक समन्वय विभाग के कार्य का एक अंग यह है कि वह सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों की प्रगति को निरन्तर जानता रहे। इस प्रकार यह एक निरन्तर अध्ययन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों से चालू वर्ष में राज्य-कोष को कितना सम्भावित लाभ होने का नवीनतम अनुमान सरकार ने लगाया है ? क्या लाभ अधिक हो रहा है अथवा स्थिर है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह सुझाव देता हूं कि वे आवश्यक सम्बन्धी कागजात के पेश किये जाने तक प्रतीक्षा करें। उनमें आवश्यक जानकारी मिल सकती है। यदि वह पर्याप्त नहीं होता तो मैं और जानकारी दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैंने ठीक सुना था तो उपमंत्री ने यह कहा था कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई है। क्या वरिष्ठ मंत्री महोदय का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि अपने हाल ही के एक भाषण

में उन्होंने यह कहा था कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी सर्वोत्तम रही है, अथवा सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों में वह सर्वोत्तम है? यदि हां, तो क्या कोई जांच किये बगैर ही—जैसा कि उपमंत्री महोदया ने कहा है कि कोई जांच नहीं की गई थी—यह प्रमाणपत्र दे दिया गया था अथवा यह वक्तव्य दिया गया था?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया था। किसी भी अवस्था में, सामान्यतया मैं अतिशयोक्ति नहीं करता।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या समाचारपत्रों के इस समाचार में कोई सचाई है?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचारपत्रों के समाचार गलत अथवा झूठे थे?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह याद नहीं आता कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था। अपने बारे में वे कहते हैं कि यदि वह वक्तव्य देते भी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं करते।

श्री हरि विष्णु कामत : यह अतिशयोक्ति की बात तो ऐसे ही कह दी गई है। यह तो केवल स्पष्टीकरण करने वाली है। पहली बात तो यह है कि क्या उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें यह कहने दीजिये कि उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। यह क्या बात है कि "याद नहीं है"? यह समाचारपत्रों में मुख्य रूप से प्रकाशित हुआ था।

श्री त्यागी : क्या यह सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की इन सभी उपक्रमों के मामले में वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाता है तथा स्टाक की जांच की जाती है? इसलिये, क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की स्थिति में हैं कि इन उपक्रमों का कुल परिणाम क्या है, कुल मिलाकर उन्हें कुछ लाभ हो रहे हैं अथवा हानियां हो रही हैं? और यदि हानियां हैं तो क्या वे १० करोड़ रुपये अथवा इसके लगभग हैं?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यवहन का सम्बन्ध है यह जानना मुख्यतया सम्बन्धित मंत्रालय की जिम्मेवारी है। निस्संदेह ही उनके कार्य-कलापों का समन्वय करना वित्त मंत्रालय का कार्य है और वह इस ध्येय से कि जो चीजें तथा जितना धन आवश्यक हो वह उन्हें मिल जाय और यह देखना भी उसका कार्य है कि यह रुपया उचित रूप से उपयोग किया जाय; और यह सब जैसा कि मैंने बताया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इन उपक्रमों की अन्तिम लाभकारिता अथवा कुल लाभकारिता के बारे में मैंने सामने वाले एक माननीय सदस्य को सुझाव दिया है कि वे प्रतीक्षा करें और यह देखें कि आयव्ययक सम्बन्धी कागज़ों से उन्हें पर्याप्त जानकारी मिलती है अथवा नहीं, और नहीं मिलती तो अपनी सामर्थ्यानुसार मैं उस जानकारी में वृद्धि करने के लिये तैयार हूं।

2422 (ai) LSD—3.

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

Short Notice Question and Answer

पेनिसिलीन के इंजेक्शन से मृत्यु

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.
श्री दाजी :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के एक कर्मचारी की, जो संसद् भवन में लिफ्ट चलाने का काम करता था, १६ फरवरी, १९६४ को गोल मार्केट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय में पेनिसिलीन का इंजेक्शन देने के बाद मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्पष्ट आदेश तथा सामान्य परिपाटी के विरुद्ध इस बात की परीक्षा किये बिना ही कि पेनिसिलीन का इंजेक्शन उसे अनुकूल पड़ेगा या नहीं, उसे यह इंजेक्शन दे दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जिस स्ट्रेप्टोपेनिसिलीन इंजेक्शन से मृत्यु हुई वह उस क्रम में रोगी को दिया जाने वाला चौथा इंजेक्शन था। लगभग चार दिन पहले, पहला इंजेक्शन देने से पूर्व रोगी की संवेदिता की जांच कर ली गई थी और किसी प्रकार की संवेदिता नहीं पाई गई।

रोगी को सभी संभव डाक्टरी सहायता दी गई।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि जब उसने अपनी व्यथा की शिकायत की तो, उसे रोगमुक्त करने के लिये दूसरा इंजेक्शन अथवा दवा देने के बजाय, उसको झिड़क दिया गया और उसे घर जाने के लिये विवश किया गया जहां पर उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा और वह मर गया ?

डा० द० स० राजू : जी नहीं, यह बात ठीक नहीं है। तुरन्त ही, समस्त सम्भव कार्यवाही की गई थी। क्या में उसे पढ़ दूं ?

चिकित्सा अधिकारियों में से एक ने इंजेक्शन दिया था। तुरन्त ही मांशपेशी के अन्दर तथा नाड़ी के अन्दर दोनों ही मार्गों से डैकाड्रन दिया गया था। एड्रैनालीन तथा कोरामीन भी दी गयी थी। तुरन्त ही एक रोगीवाहक गाड़ी (एम्बुलैन्स) मंगाई गई थी और डा० भसीन रोगी को अस्पताल ले गये थे जिन्होंने कि रोगीवाहक गाड़ी में ही डैकाड्रन और कोरामीन का एक और इंजेक्शन दिया था। कृत्रिम सांस लेने की प्रक्रिया भी यंत्र द्वारा करवाई गई थी। जब रोगी अस्पताल पहुंचा तो वह घोर चेतनाहीनता की अवस्था में था

जहां कि उसे नाड़ी के अन्दर के मार्ग से ग्लूकोज़ सैलाइन दिया गया और उसे पुनर्जीवित करने के अन्य उपाय भी किये गये परन्तु रोगी को स्वास्थ्यलाभ नहीं हुआ।

श्री दाजी : क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् नुस्खा उसकी विधवा से ले लिया गया था और वह जबरदस्ती चिकित्सालय में रखा गया था और ये सभी परिवर्तन उस नुसखे में और प्रवेश पत्र में बाद में किये गये थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह सम्भव नहीं है। हमें जो साक्ष्य मिला है उससे यह पता चलता है कि रोगी को अस्पताल ले जाया गया था, उसे इन्जैक्शन दिये गये थे और सभी सम्भव उपचार किया गया था। हमें बहुत खेद है कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रोगी की मृत्यु इस प्रकार से हुई परन्तु वास्तविक बात यह है कि कुछ मामलों में रोगियों के एक अजीब प्रकार की संवेदिता होती है। इन चिकित्सालयों में हम प्रति दिन २०,००० रोगियों का उपचार कर रहे हैं और यह दूसरा ऐसा मामला है जो कि हुआ है। हमें इसके लिये बहुत ही खेद है और हम सभी सम्भव सावधानियां बरतने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती हैं।

Shri Kishen Pattnayak : Bhagwan Singh was a liftman in the Parliament House and as such was like a member of what could be termed as 'Parliamentary family' I want to draw the attention of the hon. Health Minister to the fact that on the C.H.S. Token Cards issued to the Central Government Employees the amount of their pay is indicated along with their names and the names of the members of their families so that the doctor who sees it may know as to whether the card-holder is an officer or an ordinary employee and whether he deserves to be given more attention or not....

Mr. Speaker : Does the hon. Member want to ask a question or not?

Shri Kishen Pattnayak : Does the hon. Health Minister want to eliminate indicating the amount of pay of the Government employees on their C.H.S. Token Cards or not ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, the treatment of a patient has got no concern with his pay and the treatment necessary in a case is always given to him. Mr. Pattnayak has stated that the amount of pay is indicated on the Token Card but I do not think it is so....

An hon. Member : Mr. Pattnayak has stated correctly that the pay is indicated on the Token Card.

Dr. Sushila Nayar : If it is so, its importance is only this much that when a patient is admitted into a hospital then his pay is taken into consideratiohin while providing different types of beds, of private wards or of general wards. But we will examine this suggestion that the amount of the pay may be indicated on the C.H.S. Token Card and we will see to it as to what can be done in this matter.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि वह भलामानस किस रोग से पीड़ित था और यदि उसकी मृत्यु इस इंजैक्शन के कारण नहीं हुई तो फिर उसकी मृत्यु का क्या कारण था ?

डा० सुशीला नायर : उसको पुराना ब्रानकाइटिस तथा ज्वर का रोग था। कभी कभी अचानक ही एनेफिलेक्टिक प्रतिक्रिया के नाम से जानी जाने वाली प्रतिक्रिया होती है और इस व्यक्ति को यही एनेफिलेक्टिक प्रतिक्रिया हुई थी और उपचार का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात का पता कर लिया गया है कि जो एन्टीजैन्स दिये गये थे उनके प्रति रोगी की अत्यधिक संवेदिता के कारण अथवा यह विशेष ब्रांड का पेनिसिलीन जिन पदार्थों से बनाया हुआ था उनके कारण इस रोगी की मृत्यु हुई थी : दोनों ही मामलों में से कोई भी हो इसके लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर: औषधि का नमूना ले लिया गया है और विश्लेषण के लिये भेज दिया गया है। जब रिपोर्ट आ जायेगी तब हम यह बता सकेंगे कि औषधि में कोई गलत चीज़ पड़ी थी या नहीं। इस बीच कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसका सीधा-सादा कारण यह है कि प्रत्येक सम्भव सावधानी बरती गयी थी तथा रोगी को जो भी उपचार सम्भव था दिया गया था और ध्यान रखा गया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। इस घटना पर हमें खेद है।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या यह सच है कि अनुभव के परिणामस्वरूप यह एक हितकारी नियम निर्धारित कर दिया गया है कि जब पेनिसिलीन अथवा अन्य एन्टी-बायोटिक्स दिये जाते हैं तो एलरजिक अथवा अन्य प्रतिकूल प्रभावों के लिये उन्हें समाप्त करने वाली औषधि (एन्टीडोट) देने के लिये एक डाक्टर रहता है और यदि हां, तो क्या इस मामले में भी इस नियम का पालन किया गया था।

डा० सुशीला नायर: जी हां। यहीं बात मेरे सहयोगी ने अभी अभी पढ़ कर सुनाई थी; सभी एन्टीडोट्स दिये गये थे परन्तु उन्होंने अपना कुछ प्रभाव ही नहीं दिखाया।

Shri Sarjoo Pandey : There is to much of corruption in the hospitals of Delhi and people are not provided proper medicines and treatment there. The doctors send reports prepared by them to the Ministry which are read out to us here by the Minister. May I know as to whether or not a personal enquiry has been conducted by the hon. Minister in this case?

Dr. Sushila Nayar : Sir, this matter does not pertain to any general hospitals in Delhi. It relates to the Willingdon and Safdarjang Hospitals meant for treatment of Government employees. This particular case happened in Willingdon Hospital. The entire enquiry report just placed before you is the result of an enquiry very carefully conducted.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answer to Question

आहारपुष्टि कार्यक्रम[1]

*३३७. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के लिए तैयार किये गये अपने प्रतिवेदन में यह कहा था कि एक औसत भारतीय ग्रामीण व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन और अन्य पौष्टिक पदार्थों का भारी अभाव है ;

(ख) क्या भारत सरकार के प्रतिवेदन पर बेंगकाक में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात नधि के कार्यकारी बोर्ड ने विचार किया है ; और

[1]Nutrition Programme.

(ग) सरकार के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए आहारपुष्टि कार्यक्रम का विभिन्न राज्यों में विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) रोगी की खाने की आदतों को सुधारने के लिये तथा सिभिन्न आर्थिक वर्ग वाल व्यक्तियों को संतुलित आहार देने के लिये विस्तृत स्वास्थ्य शिक्षा आदि के संबंध में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के प्रकाशन राज्य सरकारों को बता दिए गए हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में देश में छांटे गये २२२ खण्डों में आहारपुष्टि कार्यक्रम चालू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य मछली दूध, मुर्गी, फल, वनस्पति आदि का उत्पादन बढ़ाना है तथा जनता में उनका उपभोग बढ़ाना है। जिससे स्कूल से पूर्व, तथा स्कूल के बालकों तथा माता बनने वाली महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं में इसको खाने की रुचि हो सके। इस कार्यक्रम का मुख्य अंग ग्रामीणों, पंचायती राज्य संस्थाओं के सदस्यों, विस्तार कर्मचारियों तथा चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों को उत्पादन के उचित तरीकों का प्रशिक्षण है। कार्यक्रम में बाल आपात निधि, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता दे रहे हैं। इनके साथ २८ फरवरी, १९६३ को भारत सरकार से समझौता हो चुका है।

चालन की वृहद् योजना के अधीन विश्वस्वास्थ्य संघ / खाद्य तथा कृषि संगठन प्रार्थना पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा विशेषज्ञों को देंगे।

संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि प्रशिक्षण संस्थाओं तथा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सामुदायिक विकास खण्डों, राज्यों तथा मुर्गीपालन मत्स्य पालन और वनस्पति उद्यानों को १०,०००,००० डालर के उपकरण देगा। यह आवंटन इस संस्था द्वारा उड़ीसा (१६५,००० डालर) आंध्र प्रदेश (२१७,००० डालर) तथा उत्तर प्रदेश (२८५,००० डालर) की आहारपुष्टि परियोजना के लिए आवंटित धन के अतिरिक्त होगा।

सरकार ने कार्यक्रम के लिए आवश्यक उपकरण, संभरण, कर्मचारी की व्यवस्था करने का वायदा किया है। कार्यक्रम, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है। आशा है कि शेष राज्य इसको १९६४–६५ में लागू कर देगी।

ग्रामीण जल संभरण योजनायें

*३३८. { **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जल संभरण योजनाओं का सर्वेक्षण किन राज्यों में पूरा हो गया है तथा उनके विशेष जांच खण्ड द्वारा कितनी योजनाओं की सिफारिश की गई है ; और

(ख) इस कार्य के लिये १९६३–६४ में विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) ग्रामीण जल संभरण की स्थिति के बारे में पूरा सर्वेक्षण अभी किसी भी राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मैसूर सरकार ने ग्रामीण

जल संभरण की स्थिति के बारे में एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी है जिसमें इस काम को करन की अनुमानित लागत बताई गई है। मैसूर गुजरात और उत्तर प्रदेश के विशेष जांच विभाग जांच कार्य के साथ ही साथ विस्तृत योजनायें भी बना रहे हैं।

(ख) प्रत्येक राज्य में विशेष जांच विभाग का व्यय पूरा करने के लिये केन्द्र द्वारा १०० प्रतिशत राज सहायता देने का उपबन्ध है। प्रत्येक राज्य द्वारा प्रयोग में लाये गये वास्तविक सहायता अनुदान का पता वित्तीय वर्ष के अन्त में चलेगा।

माताटोला बांध

*३४२. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माताटीला बांध बन कर पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली घर भी बनकर पूरा हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसा केन्द्र द्वारा अपर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने के कारण हुआ है।

सिचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) मुख्य बांध का निर्माण कार्य प्राय: पूरा हो चुका है। मार्च १९६४ तक क्रैस्ट द्वारा बनाने का काम पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) अभी-बिजली घर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ।

(ग) यद्यपि परियोजना की मंजूरी १९५८ में दी गई थी, उपकरण के लिये क्रमादेश मार्च १९६१ में ही दिये गये। बिजली घर की इमारत बनने में कुछ विलम्ब हो गया और परिणामस्वरूप जैनरेटर लगाने के काम में भी विलम्ब हो गया।

(घ) जी नहीं।

कुष्ठ निवारण दिवस

*३४३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० जनवरी, १९६४ को दिल्ली तथा अन्य स्थानों में कुष्ठ निवारण दिवस मनाया गया था ;

(ख) क्या कुष्ठ रोगियों का राज्यवार अनुमान लगाया गया है ;

(ग) क्या शहादरा (दिल्ली) के निकट आनन्द ग्राम के समान शिविरों की स्थापना की कोई योजनायें अन्य राज्यों में भी बनाई गई हैं; और

(घ) क्या महरौली में रोगियों के लिये स्थायी आवास एवं चिकित्सालय बनाने की दिल्ली प्रशासन की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई कि आया किसी राज्य सरकार ने ऐसी ही कोई योजना बनाई है।

(घ) महरौली में कुष्ठ रोगियों के लिये स्थायी आवास एवं अस्पताल बनाने की दिल्ली प्रशासन की कोई योजना नहीं थी। महरौली में कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिये एक आश्रम बनाने का प्रस्ताव था किन्तु जिस भूमि पर यह आश्रम बनाया जाना था, वह 'वृहद् योजना' की 'ग्रीन बैल्ट' (वृक्षों वाला क्षेत्र) में आ गई, अत : इमारत नहीं बनाई जा सकी। परन्तु दिल्ली प्रशासन का शाहदरा के समीप लोनी रोड पर इस काम के लिये वैकल्पिक स्थान अभिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति

*३४४. **श्री श्यामलाल सर्राफ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री टं० सुब्रह्मण्यम :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री अजनप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति के प्रधान, श्री के० सी० नियोगी ने उक्त समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पेश किये बगैर ही त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२४१७/६४]

राज्य वित्त निगम

*३४५. **श्री राम हरख यादव** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्त निगमों संबंधी कायकारी दल न अपना तिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--२४१८/६४]

(ग) रिजर्व बैंक पहले सिफारिशों पर विचार करेगा और अपनी टिप्पणियां सरकार को भेजेगा उसके बाद सरकार विचार करेगी कि सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

ग्राम विद्युतीकरण

*३४६. श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्राम विद्युतीकरण में क्या प्रगति हुई है तथा योजना में उल्लिखित कार्यक्रम के कहां तक अनुरूप है ;

(ख) इसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) योजना के कार्यों का मध्यावधि मूल्यांकन करने के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानित लक्ष्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). देश के ग्राम विद्युतीकरण के बारे में हुई प्रगति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २४१९/६४]

दण्डकारण्य विकास परियोजना

*३४७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ५ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य के भावी विकास कार्यक्रम के लिए दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की क्या सिफारिशें थीं ;

(ख) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार परियोजना किस सीमा तक तृतीय योजना से संबंधित परियोजनाओं की क्रियान्विति में कितने पीछे है ; और

(ग) योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी ने पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया और विचारार्थ सरकार को भेज दिया है। उस प्रतिवेदन में दिये गये कार्यक्रम में पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले लोगों के आधार पर परिवर्तन कर दिया गया है।

(ख) और (ग). तीसरी आयोजना अवधि में परियोजना की क्रियान्विति अनुसूची के अनुसार हुई है।

झेलम परियोजना

*३४८. { **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री द्वारकादास मंत्री : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने काश्मीर घाटी में झेलम के नीचे भाग में जलविद्युत् परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत क्या है ; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता ी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) अनुमानित लागत १७.६६ करोड़ रुपए है।

(ग) इस योजना के लिए राज्य की तीसरी योजना में २.०३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

दामोदर घाटी निगम

*३४९. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित बोकारो इस्पात कारखाने के लिए पानी का संभरण करने के लिए तेनुघाट, बिहार में पांचवां दामोदर घाटी निगम बांध बनाने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या इस बात का पता लगा लिया गया है कि कहीं इस व्यवस्था का दामोदर घाटी निगम की सिंचाई की नहरों पर, जो अब पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को सौंप दी गई हैं, प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) तेनुघाट के स्थान पर दामोदर में बांध का निर्माण करने का निर्णय भाग लेने वाली सरकारों की सहमति से किया गया है ताकि बोकारो इस्पात संयंत्र की जलसंबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। बांध कितनी ऊंचाई पर बनाया जाए, इस का विचार किया जा रहा है।

(ख) सिंचाई व्यवस्था के लिए जल संभरण में प्रस्तावित तेनुघाट बांध के कारण कोई अन्तर नहीं होगा।

तिब्बिया कालेज, दिल्ली

*३५०. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बिया कालेज के कार्यवहन में गड़बड़ी करने वाले मामलों को निबटाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) तिब्बिया कालेज को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या रवैया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी--२४२०/६४]**

कार्यालयों का चण्डीगढ़ ले जाया जाना

*३५१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हेमराज :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार्यालयों के लिए भवनों की कमी होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कई कार्यालयों को चंडीगढ़ ले जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय कौन कौन से हैं ; और

(ग) उनके कब तक वहां ले जाए जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए कार्यालय तथा रहने के मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। वहां कौन से दफ्तर भेजे जायेंगे इसका अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

Film Finance Corporation

652. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Bade :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 254 on the 21st November, 1963 and state :

(a) the names of those film companies which have been granted loan since November, 1963 ; and

(b) the total number of film companies which applied for loan upto January, 1964 ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) Only one film company, Messrs. Eastern Traders Private Limited, Bombay has been granted loan since November, 1963.

(b) Fourteen film companies.

पंजाब के नर्सिंग कालेज

६५३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६३–६४ में पंजाब के नर्सिंग कालेजों को कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). पंजाब में कोई नर्सिंग कालेज नहीं है। फिर भी १९६३–६४ में पंजाब में सम्बद्ध संस्थाओं को नर्सों और सहायक दाइयों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित अनुदान मंजूर किए गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रुपये
(१) नर्सों का प्रशिक्षण	
(१) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, लुधियाना	३०,०००
(२) फिलाडेलफिया हास्पिटल, अम्बाला	५०,०००
(३) फ्रांसिस न्यूटन हास्पिटल, फीरोजपुर	४६,७९०
(४) वी० जे० हास्पिटल, अमतसर में प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार	९१,६००
(२) सहायक नर्स दाइयों का प्रशिक्षण	
(१) दयानन्द हास्पिटल, लुधियाना	३३,९१३
(२) लुधियाना मैटरनिटी हास्पिटल, लुधियाना	४४,४६०
(३) गनपतराय मातृ सेवा सदन, भिवानी	२२,९००
(४) चूडामणि विष्णुदेवी हास्पिटल, हिसार	९५,४३५
जो	४,२४,२९८

BHAKRA DAM

*654. **Shri Hem Raj :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(*a*) the width and length in miles of the area earmarked on both sides of the Sutlej river and its tributaries for checking erosion along the catchment area of the Bhakra Dam ;

(*b*) whether the inhabitants of the area so earmarked will be allowed to remain there or they will be evicted from there and also whether that portion of land will continue to be used for cultivation or it would be stopped ; and

(*c*) in case of their eviction from that area, the steps Government propose to take to rehabilitate them ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The total catchment area of the Sutlej upstream of Bhakra is about 22,200 sq. miles of which 7,500 sq. miles are located in India. Soil conservation measures are to be undertaken in the entire catchment area in India. For the time being, priority has been given to about 2,500 sq. miles located in the lower reaches. This area is approximately 50×50 miles in extent.

(b) The inhabitants of the area will not be evicted. Such cultivated lands as are not fit for permanent agriculture will be converted into grass-lands, primarily with the consent of the owners.

(c) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में आयकर निर्धारण

६५५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त गत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में कुल कितना आयकर निर्धारित किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में कितनी वसूली की गयी और बकाया रकमें इकट्ठी करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हों, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) १-४-१९५९ से ३१-१२-६३ तक के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल ३१,८०,१४ (०००) रुपए का आयकर मांगा गया था।

(ख) इसी अवधि में कुल २५,३७,४२ (०००) रुपया वसूल किया गया।

बकाया रकमें वसूल करने के लिए आयकर अधिनियम में बनाए गए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सम्पदा शुल्क निर्धारण

६५६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त गत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में कुल कितना सम्पदा शुल्क निर्धारित किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में कितनी रकम वसूल की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

(हजार रुपयों में)

	३१-१२-५६	३१-१२-६०	३१-१२-६१	३१-१२-६२	३१-१२-६३
			को समाप्त वर्ष में		
(क) सम्पदा शुल्क की कुल मांग.	२,७२२	१,५००	१,६५४	२,५५०	३,४८७
(ख) वसूल किया गया सम्पदा शुल्क	१,२७३	१,४३२	१,५७४	१,६०१	२,००५

हृद् वाहिका (कार्डियो-वस्क्यूलर) रोग

६५७. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में हृद् वाहिका (कार्डियो-वस्क्यूलर) रोगों के कारण मृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): खासकर भारत में हृद्-वाहिका (कार्डियो-वस्क्यूलर) रोगों से मरने वाले व्यक्तियों के विश्वसनीय आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी १९५५ से १९६१ तक भारत के कुछ राज्यों के अस्पतालों और औषधालयों में (सभी प्रकार के) हृदय रोगों के जिन मरीजों का इलाज किया गया उनकी संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी--२४२१/६४**] । १९६० और १९६१ में हृदय रोगों के कारण मृत व्यक्तियों की संख्या भी उस विवरण में दी हुई है।

हृदय विज्ञान (कार्डियोलाजी) का प्रशिक्षण

६५८. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में (१) हृदय विज्ञान (कार्डियोलाजी) के विशिष्ट प्रशिक्षण और (२) हृद्-वाहिका (कार्डियो-वस्क्यूलर) रोगों की विशिष्ट चिकित्सा के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): अधिकांश मेडिकल कालेजों और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अस्पतालों में हृदय विज्ञान (कार्डियोलाजी) के प्रशिक्षण और हृद -वाहिका (कार्डियो-वस्क्यूलर) रोगों के इलाज के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। निम्नलिखित केन्द्र अधिक विकसित हैं :—

(१) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर

(२) जनरल हास्पिटल, मद्रास

(३) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान शाला, मद्रास

(४) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नयी दिल्ली

(५) स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान शाला, चंडीगढ

(६) मेडिकल कालेज, बम्बई

(७) मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।

स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई की स्मृति में दिल्ली में, खासकर हृदय विज्ञान (कार्डियोलाजी) का एक अस्पताल चालू करने की भी एक योजना है।

प्रीमियम इनामी बांड

६५६. { श्री विभूति मिश्र :
श्री महेश्वर नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९६३ तक प्रीमियम इनामी बांडों की कुल कितनी बिक्री हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : लगभग ५.७५ करोड़ रुपए।

संसद-सदस्यों से बिजली और पानी का बकाया

६६०. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली नगरपालिका को संसद्-सदस्यों से अभी बिजली-पानी की कितनी बकाया रकम वसूल करनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बकाया रकमों में काफी रकम इस कारण बकाया है कि सदस्यों के मकानों और बंगलों में दी गयी सुविधाओं के लिये शुल्क की दरें भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा दी गयी हैं ;

(ग) क्या इन बकाया रकमों की वसूली के लिये की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में नयी दिल्ली नगरपालिका ने सरकार से उसकी राय मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जनवरी, १९५९ से दिसम्बर, १९६३ तक वर्तमान और भूतपूर्व संसद्-सदस्यों से क्रमशः ८,५६० रु० ६८ नए पैसे और ३,७२३ रु० ८३ नए पैसे की रकमें बकाया हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). नई दिल्ली नगर पालिका ने लोक-सभा और राज्य सभा सचिवालयों को सुझाव दिया है कि वे बिजली पानी का किराया संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में से काट लें। यह सुझाव उन्होंने मंजूर नहीं किया। इसलिए बकाया वसूल करने के लिये सप्लाई बन्द करने के उनके निश्चय के लिए समिति के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

WATER SUPPLY IN DELHI

661. Shri M. L. Dwivedi : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the reasons for short supply of water in the capital ;

(b) the number of water-works working at present ; the quantity of water supplied by them daily, and the quantity in demand;

(c) the steps being taken by Government to make up this shortage and whether any other water works are proposed to be established and if so, the location thereof ; and

(d) when this scarcity of water is likely to be removed ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) In most of the areas of the Capital, there is no short supply of water. However, shortages of water supply wherever these occur, particularly during summer months, are due to :—

(1) Shortage of water in the River Jamuna at Wazirabad.

(2) Low pressure of water in certain localities.

(b) There are three water works at present :=

(1) Chandrawal Water Works having a capacity of 90 Million Gallons Daily.

(2) Okhla Water Works having a capacity of 6 M.G.D.

(3) Shahdara Water Works having a capacity of 1 M.G.D. Total capacity is 97 M.G.D. aginst 130 M.G.D. per day.

(c) To overcome the shortage of water in river Jamuna, arrangements have been made with the Government of Punjab to get canal water released in the river Jamuna through Munak Escape of the Western Jamuna Canal.

To remove low pressure, larger mains are being laid in places of smaller ones and the storage capacity of reservoirs is being increased as a phased programme. A new Water Works of 40 M.G.D. capacity is also being constructed at Wazirabad and tube-wells in Shahdara area are being sunk to get additional 8 M.G.D. water. These works along with transmission and distribution mains and also pumping stations and storage reservoirs are being completed according to a phased programme and the capacity of Water Works would be increased from 97 to 145 M.G.D. by the end of Third Five Year Plan period.

(d) It is expected that by the end of Third Five Year Plan period the scarcity of water would be substantially removed.

दिल्ली में विस्थापित व्यापारी

६६२. श्री शिव चरण गुप्त : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्टाल और खोकों में कितने अधिकृत विस्थापित व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं ; और

(ख) उन्हें बसाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) संख्या मालूम नहीं है

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के लिए दिल्ली में हजारों दूकानें और मकान बनाए गए हैं। इसके अलावा, कई भूखंडों का विकास भी किया गया है। इतने वर्षों के बाद सरकार अब दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई नया निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रही है।

खाद्य अपमिश्रण

६६३. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य परिरक्षण और परिष्करण कारखानों को नगरनिगम और स्वास्थ्य अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए प्रत्येक निर्मित पदार्थ पर कड़ी नजर रख सकें ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नगरपालिका के और अन्य स्थानीय स्वास्थ्य अधिकरी खाद्य परीरक्षण और परिष्करण कारखानों द्वारा तैयार की गयी चीजों की पहले से ही कुछ जांच करते रहे हैं। यह नियंत्रण और अधिक बढ़ाने के प्रश्न की छानबीन हो रही है।

खाद्य पदार्थों की शुद्धता

६६४. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य पदार्थ का प्रत्येक निर्माता/पैकर अपनी अपनी वस्तुओं की शुद्धता की गारन्टी दे और डिब्बों पर इस आशय की मुहर लगा दे, क्या कार्यवाही की गयी है जिस से खाद्य अपमिश्रण को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों मे यह व्यवस्था है कि खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने से जनता को उसकी मात्रा का और दूसरे ब्यौरा का जैसे रंग, विटामिन, तौल या परिमाण या अन्य मिश्रित पदार्थों आदि का पता चलता है और गलत या गलतफहमी के बयान करने की मानाही है । नियम १२४ के अधीन प्रत्येक व्यापारी को आवश्यक होने पर प्रपत्र ६–क में गारंटी देनी होती है जिस में वस्तुओं की किस्म का बयान किया हुआ है ।

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियम राज्य सरकारों, प्रशासनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों मे खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण रोकने के लिए लागू किये जा रहे हैं। इस अधिनियम के उपबन्धों को अधिक कठोर बनाने और उसकी प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए उस अधिनियम में और आगे संशोधन करने के लिए एक विधेयक २० दिसम्बर, १९६३ को लोक सभा में पेश किया गया था ।

इसके अलावा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन, हल उत्पाद आदेश, १९५५ में विभिन्न फल उत्पादकों को पैक करने, उन पर चिह्न लगाने लेबल लगाने और मुहर लगाने आदि के लिए व्यापक उपबन्ध है और कोई भी व्यक्ति किसी एजेन्ट या दलाल को ऐसे फल उत्पादों की बिक्री नहीं करेगा जो निश्चित किस्म के अनुरूप न हों और जिन्हें उस आदेश मे उल्लिखित तरीके से पैक न किया गया हो या जिन पर चिह्न न लगाये गये हों और लेबल न लगाये गये हों ।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण

६६५. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली व्यापारी संघ ने सीलबन्द और पैक किये गये खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है और यह भी प्रार्थना की है कि निर्माताओं और उत्पादक प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों मे मिलावट करने से रोक ने के लिए अधिक कड़े उपायों को काम मे लाने के लिए कदम उठाये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न पार्टियों ने जो अभ्यावेदन और विचार प्रस्तुत किये हैं उन पर विचार किया गया है । खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों को अधिक कठोर बनाने और उसको प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए उस अधिनियम मे और संशोधन करने के लिए एक विधेयक २० दिसम्बर, १९६३ को लोकसभा मे पेश किया गया है ।

वाराणसी में पकड़ा गया सोना

६६६. **श्री जेधे :** क्या **वित्त** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अक्टूबर, १९६३ को जिन दो व्यक्तियों के पास से ४०० तोला विदेशी सोना बरामद किया गया था और जिन्हें वाराणसी में गिरफ्तार किया गया था उनके खिलाफ जांच पड़ताल में क्या प्रगति हुई है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जांच पड़ताल पूरी हो गयी है और विभागीय कार्यवाही जारी है ।

स्वर्ण पदक

६६७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई विश्वविद्यालयों को मेधावी छात्रों को दिये जाने वाले स्वर्ण पदक देने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको पहले से ही घोषित पदकों को देने दिया जायेगा और क्या ये पारितोषिक दिये जाते रहेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं । स्वर्ण नियंत्रण लागू किये जाने से पूर्व दिये गये आश्वासनों के बारे में विश्वविद्यालयों को, आवेदन करने पर, केवल १४ केरट शुद्धता के सोने के पदक देने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

2422 (ai) LSD—4.

ग्रामीण विकास

६६८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज : }

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित धन राशि से पृथक रूप से निर्धारित धनराशि में से कुछ खर्च की गयी है ;

(ख) किन राज्यों ने इस धन से लाभ उठाया है ; और

(ग) अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). ग्रामीण विकास योजना का ही एक भाग है और इसके लिये कोई धन राशि पृथक से नहीं रखी जाती है । तथापि, यदि माननीय सदस्य ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की बात सोच रहे हैं तो वर्ष १९६२-६३ तक सभी राज्यों में १३७.६१ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

दामोदर घाटी निगम

६६९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम को कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को कलकत्ता क्षेत्र के लिये कितनी बिजली देनी थी और कुल कितनी बिजली दी गयी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): संविदा के अनुसार दामोदर घाटी निगम को कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को १०५,००० के० वी० ए० बिजली देनी थी । तथापि वास्तविक संभरण इससे काफी अधिक किया गया जोकि जनवरी से दिसम्बर, १९६३ तक की अवधि में १२६,००० के० वी० ए० से लेकर १३७,००० के० वी० ए० तक रहा।

तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना

६७०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना को पुन: आरम्भ करने और कार्यक्रम के अनुसार इसको चालू करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): अतारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर में बताये गये कारणों पर इस परियोजना के लिये अधिक परिव्यय उपलब्ध कराना अभी तक संभव नहीं हो सका है । तथापि, मामले की आगे परीक्षा की जा रही है ।

लोधी हाउस होस्टल, दिल्ली

६७१. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १८ दिसम्बर १९६३ को हुई आधे घंटे की चर्चा के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस लोधी हाउस होस्टल, दिल्ली में कुल कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं ;

(ख) प्रति मास प्रति कमरे का क्या किराया है, और बिजली के लिये प्रति मास कितना वसूल किया जाता है ;

(ग) क्या खाद्य-पदार्थों और सेवा के बारे में शिकायतें प्राप्त हुयी हैं; और

(घ) क्या कैटरर ने अपने टेन्डर के मुताबिक किराया दे दिया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) १८ फरवरी, १९६४ को लोधी हाउस होस्टल में २७९ कमरे भरे हुए थे, जिन मे से ३५ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं।

(ख) प्रति कमरा मासिक किराया १०० रुपये है और इस में फर्नीचर, गीज़र, पानी और सेवा-शुल्क शामिल है । अस्थायी निवासियों द्वारा गीज़र मे खपायी गयी बिजली समेत बिजली के लिये एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है । दीर्घ-कालीन निवासियों के मामले मे पृथक मीटर लगाये गये हैं और उन्हें मीटर के हिसाब से शुल्क देना होता है ।

(ग) पहले पहले भोजन और सेवा के बारे मे कुछ शिकायतें मिलीं थीं ।

(घ) कैटरर ने ३० नवम्बर, १९६३ तक का किराया दे दिया है । अगले महीनों के किराये के लिये उस से कहा गया है । इसके अतिरिक्त कैटरर ने अग्रिम रूप से १०,५७५ रुपये तीन महीने के किराये के जमा करा रखे हैं और बाकी ५००० रुपये जमानत के रूप में जमा करा रखी है ।

Thermal Power Station near Bhubaneswar

672. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Thermal Power Station is being installed at Talcher at a distance of 80 miles from Bhubaneswar;

(b) if so, with whose assistance this power station is being built ;

(c) the capacity thereof; and

(d) the amount of foreign exchange involved in it ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) The U.S.A., under their AID and PL-480 programmes.

(c) 250 MW.

(d) Rs. 15.85 crores.

अनिवार्य जमा योजना

६७३. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६४ के अन्त तक आयकरदाताओं पर लागू अनिवार्य-जमा योजना के अन्तर्गत कितना धन जमा हो जाने की संभावना है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम कुल कितनी रकम जमा होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). लगभग १५ करोड़ रुपये।

बांधों में दरारें

६७४. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह २१ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांधों में दरारों के कारणों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं और इसके संक्षिप्त निर्देश-पद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को बड़े बांधों के निर्माण और चालू करने में आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों की परीक्षा करने को कहा गया है।

भाखड़ा में जल-विद्युत् केन्द्र

६७५. { श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा में बड़े जल-विद्युत केन्द्र को चलाने के लिये डिज़ाइन में अग्रिम प्रशिक्षण के लिये कुछ भारतीय इंजीनियरों को रूस भेजा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरों को कब भेजा जायेगा ; और

(ग) इंजीनियरों का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). भाखड़ा दायां किनरा बिजली घर के लिये जनरेटर और अन्य विद्युत उपकरण लगाने के बारे में, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का फरवरी के अन्त तक या मार्च, १९६४ के आरम्भ में चार इंजीनियरों को रूस भेजने का प्रस्ताव

है ताकि वे उपकरणों के निर्माण, जोड़ और परीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ने इन अफसरों का चयन पहले ही कर लिया है।

Flood Control

676. { **Shri Mohan Swarup :**
Shri Vishwanath Pandey :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Flood Control Board has set up a high level committee to put forth suggestions for deciding the policies regarding national flood control; and

(b) if so, when the committee would submit its report ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Central Flood Control Board at its meeting held on 18-1-1964, decided to appoint a Committee to review and assess the flood control measures so far undertaken and to recommend the policy for future action. A Committee has accodingly been constituted.

(b) The Committee is required to submit its report by the end of 1964.

झूठी हुन्डियां

६७७. **श्री उमानाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित १३ जुलाई, १९६३ के "मेन स्ट्रीम" (साप्ताहिक) में प्रकाशित इस लेख की ओर आकृष्ट किया गया है कि बम्बई शहर में झूठी हुन्डी सम्बन्धी कूट-योजना में एक अरब चोर-बाजारी से कमाया गया रुपया लगा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके फलस्वरूप बम्बई में और अन्यत्र आय-कर विभाग का मूल्यांकन कार्य कठिन हो गया है और लगभग असम्भव सा हो गया है ; और

(ग) क्या आय-कर विभाग इस रैकेट के स्थान का पता लगा सका है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आय-कर विभाग को छुपाये हुए धन को हुन्डी ऋणों में लगाने के कर-अपवंचकों के तरीके का पता है और ऐसे मामलों की विस्तृत पड़ताल की व्यवस्था है। यह कहना सही नहीं है कि आय-कर विभाग इन मामलों के बारे में कार्यवाही नहीं कर सका है। तथापि, इस साप्ताहिक में लिखी गयी एक अरब रुपये की रकम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बतायी गयी है।

यंत्रीकृत फार्म

६७८. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित भूमि अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत राज्य-वार कितने यंत्रीकृत फार्मों को छूट दी गयी है ;

(ख) राज्य-वार इन फार्मों का कुल क्षेत्र कितना है ; और

(ग) इन फार्मों में, राज्यवार विनियोजन का क्या स्वरूप है और विनियोजन की कुल राशि कितनी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). किसी भी राज्य में यंत्रीकृत फार्मों को अधिकतम सीमा कानूनों से छूट देने के लिये कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। तथापि, अधिकाश राज्यों में विशेषित फार्मों, चीनी कारखानों के गन्ना फार्मों और अच्छी तरह से प्रबंधित फार्म, जिनसे विनियोजन और सुधार सम्बन्धी परीक्षण पूरे उतरते हैं और जिनके तोड़े जाने से उत्पादन में कमी होने की संभावना है, को छूट देने की व्यवस्था है। इस बारे में विस्तृत उपबन्ध योजना आयोग के प्रकाश "भूमि सुधार की प्रगति" में दिये गये हैं, इसकी प्रतियां संसद् सदस्यों को दी जा चुकी हैं। जो यंत्रीकृत फार्म इन श्रेणियों में आयेंगे, उनको अधिकतम सीमा के उपबन्धों से छूट मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में यद्यपि यंत्रीकृत फार्मों को छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक ऐसा उपबंध किया गया है जिससे सरकार यंत्रीकृत फार्मों की फालतू भूमि का राज्य फार्म के रूप में प्रबंध कर सकेगी, वर्तमान मालिकों को मैनेजर नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

अधिकतम सीमा कानून की क्रियान्विति जारी है। छूट दिये जाने वाले यंत्रीकृत फार्मों की संख्या उनमें निहित भूमि की सीमा और उनमें विनियोजन के स्वरूप और राशि के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Milk Distribution to U.P. School Children

679. Shri Vishwanath Pandey : Will the Minister for **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk will be distributed to primary school children of Uttar Pradesh during 1964-65 under a scheme of the United Nations Organisation;

(b) If so, the proposed method of distribution of milk; and

(c) whether the entire expenditure involved in the scheme will be borne by the United Nations Organisation ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes. The United Nations Children's Fund (UNICEF) has supplied milk powder for distribution to school children in certain eastern and border districts of U.P.

(b) The milk powder is distributed by the district education authorities to the schools where it is reconstituted into liquid milk at each selected school and distributed to the children.

(c) UNICEF's commitment is only to make available the agreed quantity of milk powder free of cost till the port of entry in India. After that all the expenditure is the liability of the government.

पीलिया के बाद के प्रभाव

६८०. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष १९५५ की पीलिया महामारी के बाद के प्रभावों के प्रश्न पर जनवरी, १९६४ में चंडीगढ़ में हुए प्रथम एशियाई जठरान्त्र कोप विद्या कांग्रेस में विचार किया गया ;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किये जाने के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या चर्चा से पीलिया और इसके साथ की बीमारियों के उपचार के लिये कोई टीका तैयार करने की संभावना का पता लगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में की गयी जांच पड़ताल से यह नहीं पता चला कि जिगर की बीमारी दिल्ली में जिगर में सूजन की महामारी के बाद हुई जैसा कि क्लिनिकल, बायोकेमिकल और हिस्टोपैथोलोजिकल बातों से पता चलता है । यह जांच महामारी के बाद ५ से ७ वर्षों तक की गयी और यह अन्यत्र की गयी जांच के परिणामों के अनुरूप है ।

(ग) जिगर की सूजन के लिये संभावित टीके का उल्लेख हुआ था परन्तु उस पर विस्तार से चर्चा नहीं की गयी । यह राय व्यक्त की गयी कि क्यों कि अब विषैले तत्व का सफलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है, बीमारी को रोकने के लिये एक टीका बनाना संभव हो सकता है ।

वतन-क्रम

६८१. **श्री गु० सि० मुसाफिर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि द्वितीय वेतन आयोग ने किसी विशेष मंत्रालय में किसी विशेष श्रेणी के लिये कोई वेतन-क्रमों की सिफारिश नहीं की है, उन पर अन्य मंत्रालयों के वैसे ही कर्मचारियों, जिनकी अर्हता, अनुभव और कृत्य समान हों, के लिये सिफारिश किये गये वेतन-क्रम लागू किये जाने थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम १ जुलाई, १९५९ से लागू किये गये यदि वे पद आयोग की नियुक्ति की तिथि से पूर्व थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) द्वितीय वेतन आयोग द्वारा एक मंत्रालय में विशेष श्रेणी के पदों के लिये सिफारिश किये गये पुनरीक्षित वेतन-क्रम सभी मामलों में अन्य मंत्रालयों में वैसी ही श्रेणियों पर स्वतः लागू नहीं किये गये । सामान्यतः समान वेतन-क्रम नहीं लागू किये गये बाकी जहां सभी बातें समान हैं । वेतन आयोग ने स्वयं यह सिफारिश की है कि जब काम की शर्तें, तरक्की की संभावना आदि अन्य सम्बन्धित बातें समान हों तो वही कृत्यों और उत्तरदायित्वों वाले पदों पर वही या समान वेतन-स्तर लागू किये जायें । सरकार ने भी इसी सिद्धान्त को माना है ।

(ख) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किये गये पुनरीक्षित वेतन-क्रमों को १-७-५९ से क्रियान्वित किया गया, यदि सम्बन्धित पद उस तिथि को हैं । तथापि, जहां वेतन आयोग ने किसी विशेष सेवा के लिये वेतन-क्रमों की सिफारिश की है और यह सेवा १-७-१९५९ के बाद बनायी गयी, तो उस सेवा के लिये पुनरीक्षित वेतन-क्रमों को सेवा बनने की तिथि से लागू किया गया ।

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सें

६८२. **श्री बे० द० पुरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों की निर्धारित संख्या में कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा र हैं ; और

(ग) यह कमी कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). १०६८ शैया वाले इर्विन अस्पताल में पर्यवेक्षण नर्सों के अतिरिक्त १८६ स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर हैं। इसके अतिरिक्त २६० विद्यार्थी नर्सें हैं।

प्रशिक्षण अस्पतालों के लिये स्वीकृत फोर्मूला के अनुसार विद्यार्थी नर्सों समेत नर्सों और अस्पताल में शैयाओं का अनुपात १:३ है। इस आधार पर १०६८ शैयाओं के लिये नर्सों का अनुपात १:३ से अधिक है और यह संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

गैर-सरकारी निकायों क लिए सरकारी स्थान

६८३. { **श्री बड़े :**
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी निकायों की क्या संख्या है जिन्हें सरकार ने दिल्ली में बिना किराये के या रियायती किराये पर स्थान दे रखा है ; और

(ख) ये रियायतें किस कसौटी पर दी जाती हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सत्रह गैर-सरकारी निकायों को स्थान दिया गया है; दो को बिना किराये पर और बाकी को रियायती किराये पर।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी समितियों, विभागीय संस्थाओं और क्लबों को मामूली किराये पर स्थान दिया जाता है। अन्य संस्थाओं के मामलों पर प्रत्येक के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और यदि इसके कार्य समाज-कल्याण किस्म के होते हैं, तो रियायत दे दी जाती है।

अन्दमान लोक निर्माण परिमण्डल

६८४. **श्री अ० सिं० सहगल : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में अन्दमान लोक निर्माण परिमंडल (पब्लिक वर्क्स सर्किल) के छहों डिवीजनों में से प्रत्येक द्वारा कितने मूल्य का निर्माण कार्य किया गया ; और

(ख) मुख्य भूमि में लोक निर्माण विभाग के एक डिवीज़न की उनके कार्य से क्या तुलना है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

दिल्ली में टायफाइड और कनपेड के रोगी

६८५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में टाईफायड और कनपेड के रोगियों में बहुत वद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जैसा दिल्ली नगर निगम ने बताया है, दिल्ली में अक्तूबर, नवम्बर, और दिसम्बर,१९६३ के महीनों में टाइफ़ाइड और कनपेड के रोगियों की संख्या निम्न प्रकार रही :

	कनपेड के रोगी	टाइफायड के रोगी
अक्तूबर, १९६३ . . .	४०	२७७
नवम्बर, १९६३ . . .	३७	२११
दिसम्बर, १९६३ . . .	३८	१६९

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

कनपेड :

(१) रोगियों को घरों पर या सांक्रामिक रोग अस्पताल में पृथक रखा जाता है ।

(२) प्रभावित घरों में कीटाणुनाशक औषधियां छिड़की जाती हैं ।

(३) प्रभावित घरों के स्कूल जाने वाले बच्चों को उस अवधि के दौरान, जब तक यह रोग रहे, स्कूल न जाने को कहा जाता है ।

टायफाइड :

(१) रोगियों को पृथक रखा जाता है।

(२) घरों में और पास की वस्तियों में रहने वाले अन्य लोगों को, विशेषतः आक्रमनीय वयस के लोगों को टायफाइड के टीके लगाये जाते हैं और उन अन्य बस्तियों में जहां घटिया पानी का संभरण होता है, टायफाइड के टीके पहले लगाये जाते हैं।

(३) प्रभावित बस्तियों में खाद्य पदार्थ स्वच्छता दस्ते और सफाई इन्सपेक्टर द्वारा गन्दी खाद्य और पेय वस्तुओं की बिक्री के लिये गहन रूप से चैकिंग की जाती है।

(४) मक्खी विरोधी उपायों को गहन रूप दे दिया गया है।

(५) टाइफाइड के सभी मामलों में समय-समय पर कीटाणु नाशक औषधियां छिड़की जाती हैं।

(६) प्रभावित क्षेत्रों से गन्दगी साफ करने की व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है ।

(७) पीने के पानी के लिये इस्तेमाल होने वाले कुओं की नियमित रूप से और बार बार सफाई की जा रही है।

ग्रामीण जल-संभरण योजना

६८६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पीने के पानी के संभरण की सुविधाएं देने के लिये कोई विस्तृत योजना बनायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी और व्यय की गयी; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति से अब तक पंजाब के किन भागों को लाभ हुआ, है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) कमी वाले ८५०० गांवों में से अब तक १११४ गांवों में जल संभरण सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये विशेष पड़ताल डिवीजन द्वारा प्राक्कलन तैयार करने के लिये सर्वेक्षण कार्य किया गया है। ६७६ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर ५५६ विस्तृत योजनाएं तैयार की गयी हैं और यदि निधि उपलब्ध हो तो राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत इनको क्रियान्वित किया जा सकता है।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये अब तक ३३.३० लाख रुपये आवंटित और खर्च किये गये हैं।

(ग) इस योजना की क्रियान्विति से अब तक गुडगांव, कांगड़ा, कुलु, हिसार, रोहतक, होशियारपुर, शिमला, फिरोजपुर, भटिन्डा, अम्बाला, संगरूर और गुरदासपुर जिलों को लाभ हुआ है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANC

आसाम में पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना

श्री स्वैल (आसाम-स्वायत्त जिले) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

> "आसाम में गौहाटी के पास रंगिया रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के बिस्तर में से पुलिस द्वारा बहुत से अति विस्फोटक पदार्थों और बिना इस्तेमाल किये हुए कारतूसों का पकड़ा जाना।"

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : सरकार को खबर, प्राप्त हुई है कि कामरूप जिले में, जो आसाम में है, रंगिया रेलवे स्टेशन के एक बस स्टाप के पास विस्फोटकों के १२८ एकक और १३६५ डेटोनटर्स एक बिस्तर से मिले। उस बिस्तर वाले को अभी पकड़ा नहीं जा सका। जांच पड़ताल हो रही है। राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है अतः मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य-विरोधी गति विधियों के बारे में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इस एक घटना से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वहां पर ध्वंसात्मक कार्यवाहियां असाधारण रूप धारण कर रही हैं।

श्री स्वैल : माननीय उपमंत्री मामले की गम्भीरता को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि विस्फोटक पदार्थ और कारतूस किस देश के हैं ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मैंने बताया है कि इस घटना का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा गया है और प्राप्त होते ही सभा के समक्ष रखा जायेगा। **(अन्तर्बाधा)**

श्री स्वल : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह घटना पिछले शनिवार की है। सरकार को राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने में कितना समय लगता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इसमें समय का प्रश्न नहीं है। माननीय उपमंत्री ने बताया है कि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : नियम के अन्तर्गत मंत्री यदि चाहें तो जानकारी प्राप्त करने के लिये अधिक समय की मांग कर सकते हैं। तो जब गृह-कार्य मंत्री को इस प्रस्ताव की सूचना दी गयी थी और उनके पास सूचना उपलब्ध नहीं थी, उस समय उन्होंने अधिक समय की मांग क्यों नहीं की?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि उस समय ऐसा नहीं किया गया परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध की जायगी। **(अन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): इस क्षेत्र में बढ़ती हुई राज्य विरोधी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने सारे इलाके में से ऐसे तत्वों को ढूंढ़ निकालने और उनको कड़ी सजायें देने संबंधी कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक विशेष क्षेत्र में निस्सन्देह सतर्कता की आवश्यकता है और उसी सतर्कता के परिणामस्वरूप यह घटना हुई। इस कथन से कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि वहां सतर्कता नहीं बरती जाय। परन्तु जो कुछ मेरे सहयोगी ने कहा है उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बैंकिंग समवाय अधिनियम और सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं (१) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उपधारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(क) यूनिटी बैंक लिमिटेड को स्टेट बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ अलगपुरी लिमिटेड को इंडियन बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजनाओं के बारे में जारी की गई दिनांक १८ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९९।

(ख) दिनांक ३० जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२३ में प्रकाशित मैट्रोपोलिटन बैंक लिमिटेड को युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

(ग) दिनांक ३० जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२५ में प्रकाशित कोचीन नायर बैंक लिमिटेड को स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४०८/६४]

(२) मैं सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत दिनांक १५ फरवरी १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२९ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४०९/६४]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेन्हर चन्द खन्ना) : मैं (३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९६४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना, संख्या जी० एस० आर० २०९ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) पहला संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २४१०/६४]

आय-कर अधिनियम और बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, जिस रूप में यह संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है, क अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं निम्नलिखित पत्रों को एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(४) आय-कर अधिनियम १९६१ की धारा २९६ के अन्तर्गत दिनांक ६ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५११ में प्रकाशित आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २४११/६४]

(५) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २८७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४४० ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २४१२/६४]

(६) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, १९४१, की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २१ जनवरी, १९६४ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(५५)/६३—फिन (ई०), जिसमें दिल्ली बिक्री-कर (संशोधन) नियम, १९६३ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २४१३/६४]

भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे उद्योग विकास के लिये उधार तथा अन्य सुविधायें देने हेतु भारत के औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने तथा कुछ अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग के विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधायें देने हेतु भारत के औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने तथा कुछ अधिनियमों में संशोधन भी करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौबीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो २६ फरवरी, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो २६ फरवरी, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें (रेलवे)--जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)—Contd.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : A railway line should be constructed from, Bhubaneswar to Sambalpur in order to join Eastern and Western areas of Orissa.

A bridge should be constructed over river Ganges near Farrukhabad to facilitate the passenger traffic as also the goods transport to Badrinath or Bara Hoti areas.

The largest number of categories of employees are in the Railway Department, like Station Master, Assistant Station Master, Guards, etc., as a result of which higher Officer becomes still higher and a subordinate remains at the same low level. Higher Officials take undue advantage of their positions and exploit their subordinates by making them do their private jobs. If the subordinates refuse to do their private works, they are sacked. I request the

authorities to take steps to check such undue exploitation. The second consequence of such categorisation is that one category lacks sympathy for the cause of the other one. Employees ignore their common interests. I therefore request that the number of categories be reduced. I also want to appeal to the labourers not to be carried away by their limited objectives and to keep in view the common good.

Certain employees of the Catering Department are made to work for excessive number of hours. Such things should be checked.

Complaints have been made a number of times about the low quality of food being supplied by the Catering Department and also about the excessive rates charged for that food. But our complaints have been turned to deaf ears. Rates of the food have been enhanced by 40 per cent, which amounts to increasing the railway fares. Because, ultimately the burden of this excess falls on the passengers. I request that better food be supplied, both qualitatively and quantitatively.

A number of classes in the railway compartments is justified only if Govment improve the conditions prevailing in the lowest class. Otherwise, upper class should be abolished.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : रेलवे दुर्घटना समिति द्वारा यह सिफारिश की गयी थी कि केन्द्रीय, उत्तरीय एवं दक्षिणी रेलवे के विस्तार को कम किया जाय और छोटे छोटे खंड बनाये जायें। इस समय उत्तर रेलवे का कार्यक्षेत्र ६००० मील है, दक्षिण रेलवे का भी ६००० मील है और केन्द्रीय रेलवे का ५५०० मील। इनका पुनर्गठन करके १४ खंडों में विभक्त किया जाना चाहिए। खंड इस सिद्धान्त पर बनने चाहिए कि प्रशासन कुशलतापूर्वक चल सकें, नये तरीके और सुधार लाये जा सकें, वर्कशाप, अनुसन्धान आदि की सुविधायों को पर्याप्त रूप से उपबन्ध हो सके। परन्तु पुनर्गठन के कारण वर्तमान प्रबन्ध और कुशलता में बाधा नहीं आनी चाहिए।

नये क्षेत्रों के निर्माण किये जाने की मांग सभी सिद्धान्तों के अनुसार है। सिकंदराबाद को मुख्यालय बना कर नये क्षेत्र का निर्माण कर देना उन सिद्धान्तों पर बिल्कुल पूरा उतरता है जो कि रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किये हैं। इसके आस पास के चार भाग लगभग एक जैसी दूरी पर ही हैं। यद्यपि वे दो राज्यों के अन्तर्गत पड़ते हैं। क्षेत्र बनाते समय तो हमें सब बातों को देखना है, केवल क्षेत्रीय भावनाओं से ही काम नहीं चलता। इस क्षेत्र में ३९९३ किलोमीटर क्षेत्रफल होगा। सिकन्दराबाद निजाम राज्य रेलवे का भी मुख्यालय था अत: यहां सभी प्रकार की सुविधायें विद्यमान हैं। इसके लिए आंध्र प्रदेश ने सभी सुविधायें देने के लिए आश्वासन दिया है। यदि इस क्षेत्र का निर्माण हो जाय तो उद्योगपतियों, कृषकों तथा उस क्षेत्र के उद्योगपतियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा।

जिन लाइनों के निर्माण के लिए हम आन्दोलन कर रहे थे तीसरी योजना में उनमें से कोई लाइन भी नहीं ली गयीं; काठगुदाम, से भद्रचालम के रास्ते विशाखापटनम, उस में साथ ही एक लाइन वस्तर जिले से भद्रचालम से बेलौडाला तक। आशा है कि इन लाइनों की ओर मंत्री महोदय उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखेंगे और इनकी आवश्यकता को स्वीकार करेंगे। चतुर्थ योजना में तो इसे ले ही लेना चाहिए।

विद्युतीकरण के बारे में भी सरकार ने सारे सुझाव रद्द कर दिये हैं। कई एक मामलों में उन्होंने जो कठिनाइयां महसूस की हैं वे भी उन्होंने बताई हैं. परन्तु यह उन्होंने नहीं बताया

कि इस दिशा में जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें क्यों रद्द कर दिया गया है । इसी तरह मंत्री महोदय सेवा निवृत कर्मचारियों की बात संसद् सदस्य की हैसियत बहुत अच्छे ढंग से करते थे । परन्तु अब वह इस बारे में कुछ नहीं कर रहे । मदिरा पर ऊपरि पुल के निर्माण की ओर भी इसी तरह का उपेक्षाभाव अपनाया गया है । गंगाराम रोडा, विमम जिले के लोग यह मांग कर रहे हैं कि वहां गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था हो । इस से ३५००० ग्रामीण लोगों को लाभ हो जायेगा । दुर्घटनाओं के रोकने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : मेरे दोस्त सहयोगियों ने बजट में अधिक व्यय की व्यवस्था के बारे में मामला स्पष्ट किया है । इस मामले पर मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता था, परन्तु इतना निवेदन करूंगा कि यह कहना बिलकुल सच नहीं है कि रेलवे की आय के बारे में कम प्राक्कलन किये गये हैं और व्यय के बारे में अधिक प्राक्कलन किये गये हैं। यातायात आय और कर्मचारी व्यय दोनों का प्राक्कलन ध्यान पूर्वक बनाया गया है। और इनका वास्तविक आय व्यय के आंकड़ों से बहुत ही मामूली अन्तर है । इस संदर्भ में मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेलवे जो बचत दिखा सकती है उसे विकास निधि में जमा करा दिया जाता है । उसका प्रयोग उपभोक्ताओं को अधिक सुविधायें देने, कर्मचारियों के कल्याण का कार्य करने तथा अन्य संचालन सम्बन्धी सुधार लाने में होता है ।

बड़ी लाइनों के बारे में यह कहना कि पक्षपात से काम हो रहा है गलत बात है । रेलवे प्रशासन इस दिशा में सम्भव कदम उठा रहा है । माल के परिवहन की स्थिति के सुधार हो जाने से प्रशासन यात्रियों की सुविधायों की ओर समुचित ध्यान दे सकेगा । मुझे यह सुझाव व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता कि भीड़भाड़ कम करने के लिए रेलवे वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाय । हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि रेलवे केवल उपयोगिता सेवा ही नहीं है, इसे व्यापारिक समवाय के तौर पर भी काम करना पड़ता है । उन्हें देश और विदेश के लोगों की मांगों और आवश्यकताओं को भी देखना पड़ता है और उसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी । क्या आप यह चाहते हैं कि हम उच्च श्रेणियों के यातायात को समाप्त करके समस्त पर्यटक यातायात से हाथ धो बैठें । इस से भारी हानि वहन करनी पड़ेगी। इस पर भी यह ठीक है कि हमें तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयां दूर करनी ही चाहिए। प्रशासन इस बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहा है और शीघ्र ही इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

[**Shrimati Renu Chakarvarti** in the chair]

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कई स्थानों पर भीड़ भाड़ बिना टिकट यात्रा के कारण भी हो सकती है। इस के लिए कुछ कार्यवाही करने के लिए जनता तथा माननीय सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि यदि रेलवे द्वारा गलत काम करने वालों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करे, तो इस तरह के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेलव प्रशासन अपने यहां कि भोजन व्यवस्था में सुधार लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है और इस दिशा में पग उठाये जा रहे हैं। केवल मात्र इसी कार्य को करने के लिए एक नया निदेशक नियुक्त किया जा रहा है । इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि जो भी भोजन वहां

दिया जाय उसकी किस्म, मात्रा और सेवा में काफी सुधार हो। रेलवे बुक स्टालों के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अतः इस व्यवस्था में कोई तबदीली नहीं की जायेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[**Mr Deputy Speaker** in the chair]

भ्रष्टाचार के बारे में मेरा निवेदन है कि इसे दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। रेलवे में चल रहे भ्रष्टाचार को सख्ती से समाप्त करने का प्रयत्न होगा। हम किसी भी दशा में भ्रष्ट लोगों को सहन नहीं करेंगे। उस प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी, जिन्हें भ्रष्ट साधनों को प्रयोग में लाते हुए पकड़ा जायेगा। इंजीनियरिंग के ठेकेदारों के बारे में जो शिकायतें हैं वे ठीक हैं और उनकी छानबीन की जायेगी, परन्तु यह सुझाव प्रभावी नहीं है कि निम्नतम टेन्डरों को स्वीकार न करके ऊंचे टेंडरों को स्वीकार किया जाय। किसी सरकारी विभाग के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह केवल कम कीमत के टेंडर ही स्वीकार करें। इस मामले में बहुत सी बातों का ध्यान रख कर फैसला किया जाता है। काम उनको दिया जाता है जो उसको करने की योग्यता रखते हों। जिस आदमी ने सब से कम कीमत के टेंडर दिये थे उसके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं। उसका एक आध मामला अदालत में है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** in the chair]

विभिन्न जोनों की आवश्यकताओं का अलग अलग अनुमान लगाने का कार्य क्षमता ब्युरो को ही दिया जाता है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां रह गयी हों, परन्तु इस काम के लिए इससे अच्छा और अधिक संगठन नहीं हो सकता। जैसा कि बहुत अच्छा और योग्यतापूर्ण कार्य चल रहा है। इसे देखते हुए इस बात की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि जोनों का पुनर्गठन किया जाय। मेरे विचार में यह मामला ऐसा नहीं कि इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाये। अतः अभी हाल पूर्ण स्थिति ही चलेगी।

नीचे और ऊपर के पुल के बारे मे मेरा कहना यह है कि इस दिशा में रेलवे जो कुछ भी सम्भव होगा करेगा। मिलाने वाली सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, परन्तु इसके लिए राज्य सरकारों की स्वीकृति की उपेक्षा होती है। उनसे स्वीकृति और धन प्राप्त होते ही इस दिशा में कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाता है। स्थानीय निकायों की सड़कों के लिए भी यही नीति है। बिना चौकीदारों के फाटकों के बारे में श्री कामत की रुचि बहुत अधिक है। इस बारे में मैंने अन्य देशों की स्थिति का अध्ययन किया है। यह बात नहीं है कि इस तरह के फाटक केवल भारत में ही हैं। रेलवे प्रशासन ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि रेलवे फाटकों के चौकीदारों का खर्चा राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार मे बाटने में काफी रियायत से काम लिया जाय। बहुत से अन्य व्यय भी रेलवे ने अपने ऊपर ले लिये हैं। फाटकों के चौकीदारों का खर्चा रेलवे देगी। सभी ऐसे फाटकों पर जहां चौकीदार नहीं होंगे, दोनों ओर साइन बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर ठहरिये अथवा खबरदार लिखा होगा। पैदल उपरि पुल बनाने पर विचार हो रहा है। डम डम तथा कलकत्ता की स्थानीय रेलवे के कुछ अन्य स्टेशनों पर इस तरह के पुलों के निर्माण के कार्य पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जायेगा।

हमने कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों का विद्युतीकरण कर दिया है। नये क्षेत्रों के विद्युतीकरण के संबंध में बिना सावधानी के कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते। समय पर स्थिति में सुधार हो जायेगा। सियालदह--रानाघाट सैक्शन पर ५४ और सियालदह--बोनगांव सैक्शन पर २२ विद्युत चालित गाड़ियां चालू कर दी गई हैं। अप्रैल १९६४ के बाद से सियालदह डिवीजन के विभिन्न सैक्शनों की उपनगरीय ट्रेन यात्रा अधिक आरामदायक और अधिक सक्षम हो जायेगी।

चतुर्थ श्रेणी मे नियुक्तियां करते समय उन लोगों को अधियान दिया जाता है जो सामयिक मजदूर के रूप में अथवा किसी परियोजना में कार्य कर चुके हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : रेलवे के विद्युतीकरण के संबंध में रखे गये कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और नये कर्मचारी रखे जा रहे हैं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में भी यही बात है।

श्री दासप्पा : मैं चाहता हूं कि वे कोई उदाहरण देकर अपनी बात कहें।

श्री नम्बियार : हम सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं।

श्री दासप्पा : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने संभवतः न्यू बैरकपुर में छात्राओं और छात्रों के स्कूलों के बीच एक पुल बनाने की मांग की है। यह रेलवे की ही जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय सरकार को भी इसमें दिलचस्पी रखनी चाहिये।

कर्मचारियों को दण्ड दिये जाने के संबंध में प्रश्न उठाया गया था। रेलवे में ऐसी कोई बात नहीं की जाती किन्तु इतनी बड़े संगठन में अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से कभी कभी कुछ समय के लिए ऐसा करना अनुचित भी नहीं कहा जा सकता।

श्री अल्वारेस के यह कहने पर कि मंहगाई भत्ते के संबंध में १०० प्रतिशत निराकरण किया जाये अब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती भी १०० प्रतिशत निराकरण की मांग करने लगी हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : १५० रुपये तक ऐसा कर दिया जाना चाहिये।

श्री दासप्पा : वेतन आयोग की यह सिफारिश थी कि निराकरण कुछ प्रतिशत तक किया जाये। यदि उतना कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त है।

माल यातायात के संबंध में हमारी स्थिति अच्छी हो गई है। अतः यात्रियों की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अन्य बातों, भीड़भाड़ कम करने, दुर्घटनायें रोकने आदि के संबंध में भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

हम अनुसंधान विभाग को भी मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि हमें सरलता से कुशल कर्मचारी प्राप्त नहीं होते।

केवल भारत में ही नहीं इंग्लैंड जैसे देश में भी कर्मचारियों की भूल के कारण दुर्घटनायें होती हैं।

मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने सुझाव दिये।

ध्यान दिलान वाली सूचना के बारे में

Re: CALLING ATTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते थे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यहां आने पर मुझे पता चला कि गृह-मंत्रालय के नाम एक ध्यान दिलाने वाली सूचना थी। स्थिति की जांच करने पर मुझे पता चला कि प्रश्न के घंटे के समाप्त होने तक मुझे अथवा मेरे मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री नन्दा : बाद में मैं वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दो सूचनायें थीं—एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में और दूसरी ध्यान दिलाने वाली सूचना। मंत्रालय को स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिल गई और उसके संबंध में एक वक्तव्य तैयार कर लिया गया। किन्तु उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं हुई क्योंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। श्री स्वैल ने सूचना उचित समय के अन्दर ही भेजी थी। सदस्य को तीन प्रतियां, एक संसदकार्य मंत्री को, एक संबंधित मंत्री को और एक अध्यक्ष को भेजनी पड़ती है। श्री स्वैल ने समय पर सूचना भेज दी, अतः उनका दोष नहीं है। हमें इस बात की जांच करनी है कि गलती कहां पर हुई। किन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा यदि किसी कारणवश मंत्री को उचित समय के अन्दर सूचना न मिले तो उनके लिए यही कह देना पर्याप्त होगा कि उन्हें सूचना नहीं मिली।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि उन्हें इतनी स्वतंत्रता दे दी गई तो हमारे सब प्रयत्नों के बाद भी और अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद भी ऐसा अवसर उपस्थित हो सकता है जब मंत्री महोदय यह कह देंगे कि "हमें सूचना नहीं मिली।"

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री को सूचना न मिले तो उनसे उत्तर देने की आशा कैसे की जा सकती है?

श्री हरिविष्णु कामत : इसीलिये मैंने कहा था कि पत्र व्यवहार प्रणाली को अधिक कार्यकुशल बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा कि गलती कहां पर हुई है।

श्री नन्दा : सूचना मिल जाने पर यह आवश्यक नहीं है कि हम जानकारी तुरन्त दें। कुछ मामलों में हमें समय की आवश्यकता हो सकती है।

श्री स्वैल (आसाम–स्वायत्तशासी जिले) : मैंने सुबह ९–५० पर ध्यान दिलाने वाली सूचना नोटिस आफिस के बाहर लगे बक्स मे डाल दी थी :

अनुदानों की मांगें रेलवे

DEMANDS FOR GRANTS (Railways)—Contd.

श्री सिंहासन सिंह : (गोरखपुर) : भारतीय रेलवे में ८००० सैलून चलते हैं। यदि इनका चलना बन्द कर दिया जाये और इन्हें गाड़ियों मे बदल दिया जाये तो भीड़भाड़ की समस्या काफी सीमा तक सुलझ जायेगी। क्या वे इस संबंध मे कोई कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वे विचार करेंगे।

श्री अल्वारेस (गोआ) : वे सजा प्राप्त मजदूरों के संबंध में कुछ कहने जा रह थे। लेकिन अपनी बात पूरी न कह पाये। अच्छा हो यदि वे इस समय उसे पूरा कर दें।

अध्यक्ष महोदय : उस बात को कहने का उन्हें और भी अवसर प्राप्त होगा।

श्री शिवमर्ति स्वामी (कोपाल) : क्या १९५७ से चलने वाली पेंशन योजना उन कर्मचारियों के संबंध मे भी लागू होगी जो १९५७ के पहले रेलवे की सेवा में आये थे ?

श्री दासप्पा : श्री रामस्वामी ने इसका उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३ और ६ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions no. 3 & 6 were put and negatined

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ४(१५) और १३(१) मतदान के लिये रखे गये ।

The cut motions no. 4(XV) and 13(i) were put.

लोक सभा में मतविभाजन हुआ:—

पक्ष में ३६ ; विपक्ष में ८२

The Lok Sabha divided
Ayes 36; Nos 82

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए
The motions were negatined

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १३(२)मतदान के लिए रखा गया ।
cut motion no. 13 (ii) was put

लोकसभा में मत विभाजन हुआ :

पक्ष में ३५ ; विपक्ष में ८२

The Lok Sabha divided
Ayes 35 ; Noes 12

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatined

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The cut motion No. 7 was put and negatined

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the remaining cut mations were put and negatined

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६४–६५ के लिए रेलवे मंत्रालय की निम्न लिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand for grant in respec) of Roilway ministry was put aud adopted.

मांग सख्या	शीर्षक	राशि
१	रेलवे बोर्ड	१,०६,५०,००

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में आयव्ययक (रेलवे), १९६४–६५ की अनुदानों की मांग सख्या २ से १६ और १८ पर विचार होगा। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के अन्दर लिख कर भेज दें।

वर्ष १९६४–६५ के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग सख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विधि व्यय	३,०१,५२,०००
३	चालू तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान . .	३३,५३,०००
४	कायवहन व्यय—प्रशासन	४७,६०,४४,०००
५	कायवहन व्यय—मरम्मत और सधारण . .	१५९,५८,२१,०००
६	कायवहन व्यय—चालक कमचारी . . .	९२,७९,१६,०००
७	कायवहन व्यय—सचालन (ईंधन) . . .	१०४,१९,५९,०००
८	कायवहन व्यय—कमचारी और ईंधन के अतिरिक्त सचालन	३१,१२,०२,०००
९	कायवहन व्यय—विविध व्यय . .	२९,६१,२५,०००
१०	कायवहन व्यय—श्रम कल्याण	१५,६८,०९,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
११	कार्यवहन व्यय—अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	८३,००,००,०००
११-क	कार्यवहन व्यय—पेंशन निधि में विनियोग .	१६,००,००,०००
११-ख	पेंशन निधि से निकालना	३,६६,०२,०००
१२	सामान्य राजस्व को भुगतान . .	१०३,२३,४५,०००
१३	खुली लाइन के काम (राजस्व) . .	१२,६६,६६,०००
१४	नई लाइनों का निर्माण . .	८०,८४,००,०००
१५	खुली लाइनों का काम—बढ़ाना तथा बदलना .	४८६,२३,५२,०००
१६	खुली लाइनों का काम—विकास निधि .	३३,००,६४,०००
१८	विकास निधि में विनियोग	३०,८६,४२,०००

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हमने रेलवे के प्रबन्ध और प्रशासन के संबंध में कुछ प्रश्न उठाये थे। जिनके उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि वे रेलवे से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

(**Mr. Deputy Speaker** in the Chair)

किन्तु इस संबंध में पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई। इसके स्थान पर माननीय मंत्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड के सदस्य ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा था कि रेलवे बोर्ड के सदस्य 'मुगल साम्राज्य' के समान हैं। माननीय मंत्री ने उत्तर में इस बात का खंडन किया। मैं अस्वीकार नहीं करता कि कुछ अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं। किन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे) १९६१ ने कई बातों पर प्रकाश डाला है। अमरीका और आस्ट्रेलिया से रेलवे स्लीपर मंगाने में ७७ लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। सरकार ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

दूसरा मामला दक्षिण रेलवे का है जिसमें कोयले के लादने क संबंध में ठेकेदार को १५.३७ लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। ऐसे ही कई अन्य मामलों का उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।

लेखा प्रतिवेदन, रेलवे, १९६४ में भी ऐसे कई मामलों को प्रकाश में लाया गया है। पृष्ठ १० पर बताया गया है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर जोनल ठेका पद्धति को बदल कर क्षेत्रीय (एरिया) ठेका पद्धति लागू करने में १३ लाख रुपये का व्यय आया है। पृष्ठ ११ पर निविदाओं संबंधी कार्य पूर्ण करने में विलम्ब करने के कारण हुई हानि का उल्लेख है।

पृष्ठ १४ पर बतलाया गया है कि इस्पात के स्लीपर न मिलने के कारण लगभग ३० लाख रुपये के मूल्य के "लूज़ जॉ" बेकार पड़े हैं। उसी पृष्ठ पर यह बताया गया है कि माल लादने के एक प्लेट फार्म्स का विस्तार करने का इरादा छोड़ दिया गया और उसके लिये मंगाया गया सामान व्यर्थ खराब हो रहा है।

[श्री निम्बयार]

पृष्ठ २३ पर बताया गया है कि ३० जून १९६३ को पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे पर १९५६ से १९६३ की अवधि के १६१.४२ लाख रुपये के विलम्ब शुल्क की वसूली करना बाकी था। मैं जानना चाहूंगा कि १९५६ से अब तक बड़ी फर्मों से विलम्व शुल्क वसूल क्यों नहीं की गई? रेलवे मंत्रालय के किसी उच्चाधिकारी का अवश्य इसमें हाथ है। मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाकर उसे दण्ड दिया जाये।

इन दो प्रतिवेदनों से पता चलता है कि रेलवे के अन्दर अवश्य कोई गड़बड़ चल रही है। ऐसे कई मामलों लेखा परीक्षकों की नजर से बच गये होंगे। अतः रेलवे मंत्रालय के लिये ऐसे व्यक्तियों का बचाव करना उचित नहीं था।

माननीय मंत्री ने कहा है कि पेंशन योजना उन कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं की जायेगी जो १९५७ के पहले सेवानिवृत्त हो गये। श्री सें० वें० रामस्वामी ने बतलाया कि इसमें १०० करोड़ रुपये अथवा अधिक व्यय आयेंगे। किन्तु उन लोगों की संख्या जो १९५७ से पहले सेवानिवृत्ति हुये और जो अब भी जीवित है २५,००० के लगभग होगी।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी): यह संख्या लगभग ३ लाख होगी।

श्री नम्बियार : मेरे आंकड़े भी उनके सामने हैं। इस हिसाब से कुल १ करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। माननीय मंत्री इस बात की जांच करें।

पुरुलिया–खुटसिया लाइन को समाप्त करन का विचार है। इसे ब्रोड गज में बदल दिया जाये तो अधिक आय होगी।

चितरंजन वर्कशाप के लिये संघ को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये। वहां के लोगों का अनुचित रूप से स्थानान्तरण कर दिया जाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के संघ कार्यकर्ताओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है।

पूर्व रेलवे पर १६० किलोमीटर की रेलवे निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है। सरकार द्वारा उन्हें १० लाख रुपये प्रतिवष की सहायता दी जाती है। इन गाड़ियों की हालत अच्छी नहीं है। इन्हें सरकार अपने हाथ में ले ले।

मैंने अन्य विषयों के संबंध में अपने कटौती प्रस्तावों पर प्रकाश डाला है। सामान्यतः रेलवे कर्मचारियों की यह धारणा है कि उनकी अवहेलना की जाती है, उनकी कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता। अनावश्यक रूप से उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। कुछ मामलों में वरिष्ठता की अवहेलना की जाती है, कर्मचारियों को बिना अपराध भारी दण्ड दिये जाते हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाये। कमचारियों के साथ बरा व्यवहार न किया जाये जिससे १२ लाख आदमी स्वेच्छा से देश सेवा की भावना से कार्य करें। यदि इनकी शिकायतें दूर हो जायें तो वे अधिक सहयोग देंगे और रेलवे की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी।

मैंने धोखेबाजी आदि के कुछ मामलों का उल्लेख किया है उनके संबंध में बताया जाये कि क्या कायवाही की गई।

अपराधियों को दण्ड दिया जाना चाहिये, उनका समर्थन करने से इस प्रकर के अपराध समाप्त नहीं होंगे।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : श्रीमान्, रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें १२.१२ लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रेलवे का काय संतोषजनक है ।

हर्ष की बात है कि किराये और पार्सल की दरों में वृद्धि नहीं की गई । भाड़े में २ प्रतिशत की वृद्धि से भी कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी होगी क्योंकि यात्रियों को अधिक सुविधा दी जायेंगी ।

बजट में कई सराहनीय बातें हैं। किन्तु मेरा निवेदन है कि ब्याज की दर ४.५ प्रतिशत से बढ़कर ५.७५ प्रतिशत हो जाने के कारण भविष्य में पूंजी के लिये सामान्य राजस्व पर निभर रहना ठीक नहीं है।

हष की बात है कि मीलाविट्टन ट्यूटीकोरना रेलवे लाइन का कार्य गलभग पूण होने वाला है। मैं इसके लिये रेलवे मंत्री के प्रति ट्यूटीकोरन और मेद्रास के और सारे देश के लोगों की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं।

तिरुनेलवेली-कन्याकुारी-नागरकोईल–त्रिवेन्द्रम लाइन के बारे मे प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिये तथा इस लाइन को चतुर्थ योजना में सम्मिलित करना चाहिये। टूटिकोरिन से तिरुचिरापल्ली तथा एक बड़ी लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। इसे भी चतुर्थ योजना मे सम्मिलित किया जाना चाहिये। तिरुनेालवेटो जंक्शन समपार के स्थान पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना चाहिये। इसकी काफी समय से जरूरत महसूस की जाती रही है।

तिरूनेलवेली से शेनकोटा तक एक सीधी शटल सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिये जो तिरूनेलवेली जंक्शन से प्रातः ९ बजे रवाना हो। तिरूनेलवेली जंक्शन से ११–३० म० पू० बजे चलने वाली यात्री गाड़ी के साथ एक सीधा मद्राचे जाने वाला डिब्बा जोड़ा जाना चाहिये जिसे बाद में मनियाची स्टेशन पर टूटिकोरन एक्सस के साथ लगा दिया जाये ताकि सीधे मद्रास जाने वाले यात्रियों को असुविधा न हो।

जहां तक रेल गाड़ी मे स्थान आरक्षित करने का प्रश्न है संसद्-सदस्यों को इस बारे में विशेष रिआयत दी जानी चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि वैगनों के उत्पादन में काफी वद्धि हुई है। यात्री गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और सीधी गाड़ी सेवाओं में अधिक शयन डिब्बों की व्यवस्था की गई है।

रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिये भी काफी कुछ किया गया है। रेलवे मंत्रालय के नियंत्रण में बहुत से स्कूल तथा अस्पताल कार्य कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रति वर्ष ११००० मकानों का निर्माण करने के लिये रेलवे मंत्रालय बधाई का पात्र है। १९६४–६५ से योग्य वर्कशाप कर्मचारियों को मुफ्त शिक्षा भ्रमण की सुविधा भी दी रही है। रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे कर्मचारियों के बीच श्रम संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। विश्व बक दल ने भी भारतीय रेलवे द्वारा की गई प्रगति की सराहना की है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं म ग संख्या १४१र दिये गये कटौती प्रस्ताव संख्या ४१ के समर्थन मे बोलने के लिने खड़ा हुआ हूं। पश्चिम रेलवे पर झुण्ड और कांडला के बीच बड़ी लाइन का शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिये। इसका निर्माण न किये जाने से सौराष्ट्र के लोगों को बहुत निराशा होगी। सौराष्ट्र में बड़ी लाइनों के निर्माण किये जाने की बड़ी आवश्यकता है।

[श्री मी० रु० मसानी]

सौराष्ट्र तथा गुजरात दोनों प्रदेशों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सौराष्ट्र को गुजरात तथा राजस्थान के भीतरी भागों से बड़ी लाइन के जरिये मिलाया जाये। कांडला को बड़ी पत्तन बनाने से तभी लाभ हो सकेगा जब इसे गुजरात और राजस्थान के भीतरी भागों से रेल द्वारा मिला दिया जायेगा। मैं झुण्ड-काण्डला लाइन के निर्माण में हुई देर के लिये किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस लाइन की महत्ता को समझा जाये।

इस लाइन को कहां कहां से ले जाया जाये इस बारे में भी रेलवे अधिकारी कोई निर्णय नहीं कर पाये हैं। एक प्रस्ताव यह है कि इस लाइन को छोटे से छोटे रास्ते से ले जाया जाये परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न करके यह लाइन सौराष्ट्र के घने बसे हुए और औद्योगिक केन्द्रों जैसे मोरवी, बांकानेर तथा सुरेन्द्रनगर में से ले जाई जानी चाहिये। सौराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है। पश्चिम रेलवे पहले ही इसी मार्ग के बारे में सर्वेक्षण कर चुकी है और वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रेलवे को यही मार्ग लाभदायक सिद्ध होगा।

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस लाइन को राजकोट तक ले जाया जायेगा।

श्री मी० रु० मसानी : मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इसे राजकोट तक ले जाया जायेगा। चूंकि पश्चिम रेलवे के तकनीकी प्रतिवेदन में जिस मार्ग की सिफारिश की गई है उसी मार्ग से रेलवे लाइन ले जाने की वहां की जनता ने भी मांग की है अतः इस परियोजना को कार्यान्वित करने में और अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : Some improvements should be made in the existing catering arrangements on the railways. In this connection I would suggest that the Railway Minister, Deputy Minister and other big officers of the Railway Board should pay surprise visits and see the working of this system in person. This will go a long way in setting things right.

A bridge or an outlet to let the water pass to the other side should be provided at such places on the railway track where the nearby land affected bythat water can be used for agricultural purposes. This should be given utmost priority keeping in view the shortage of foodgrains in the country.

Construction of a railway line from Bagaha to Bhainsalotan, Survey for which has already been completed, should be taken in hand without further delay. The need for its early completion is very great for carrying heavy machinery to the Gandak Project. Due consideration should be given to the proposal for the construction of a railway line from Padrauna to Madhubani (Champaran district), a distance of only 12 miles. The production of sugar cane in Madhubani is of the order of 40 lakh tons and its population is 1 1/2 lakhs. The farmers have to carry that sugarcane to far away places. If this railway line is constructed, a sugar mill can be started there. Thus this line will bring large revenues to the railways and also help solve the sugar problem.

Some concessional rules regarding freight rates should also be made applicable to food articles as is the case with cement and coal. This will help reduce the rising costs of food-stuffs, to some extent.

North Bihar is an agricultural area whereas South Bihar is an industrial area. The people of North Bihar can prosper only if Patna is connected with north Bihar by the construction of a bridge across the river Ganges. I admit that we have been benefited a lot by the construction of Rajendra Bridge. But by the construction another bridge near Patna, the produce of North Bihar can be transported to different parts of Punjab, Uttar Pradesh and Delhi quickly and *vice versa.* I hope that this suggestion of mine will be seriously considered by the Government.

Corruption is rampant among the low-paid railway employees. They charge certain fixed amount for every bale to be transported by goods trains. The labour leaders know about it. Strict vigilance should, therefore, be kept on the activities of the low-placed employees and persons who make allotment of wagons for transportation of goods.

श्री मान सिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : झुण्ड-कांडला रेलवे लाइन का निर्माण करने में सरकार द्वारा ढील की जा रही है। ऐसा लगता है कि वह इस परियोजना को तीसरी योजना के अन्त तक समाप्त नहीं करना चाहती। यह परियोजना केवल सौराष्ट्र या गुजरात या राजस्थान के हित क लिए ही नहीं है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। कांडला को राजस्थान और गुजरात से रेल द्वारा मिलाना बहुत जरुरी है। कांडला पत्तन के विकास की दृष्टि से झुण्ड-कांडला लाइन का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिये।

हिम्मतनगर और बीजपुर के बीच के १४ मील के क्षेत्र में यदि एक रेलवे लाइन बिछा दी जाये तो पूर्वी राजस्थान की दूरी प्रस्तावित झुण्ड-काण्डला रेलवे लाइन से ४० मोल कम हो जायेगी। यह मेहसाना, बनसकंठा तथा साबरकंठा से होकर गुजरेगी और इस प्रकार ३५ लाख लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। मैंने अपने गत वर्ष के भाषण में सरकार से इस लाइन का सर्वेक्षण करने के लिये प्रार्थना की थी परन्तु मेरा दुर्भाग्य है कि सरकार इसका सर्वेक्षण तक भो नहीं करना चाहती। निस्सन्देह यह एक मीटर गेज लाइन होगी फिर भी रेलवे मंत्रालय को इसका निर्माण करने को दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहियें।

मेहसाना नगर से एक नाले के छोटे से मोड़ को हटाने का कार्य आश्वासन की तिथि से एक वर्ष बाद हाथ में लिया जा रहा है। अतः रेलवे बोर्ड कार्यकुशल होने का दावा नहीं कर सकता। इसी तरह, मेहसाना रेलवे गोदाम समपार के स्थान पर एक पैदल ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने का सुझाव दिया गया था। इसके निर्माण से रेलवे के आवर्ती व्यय में भी कमी हो जायेगी और वहां के लोगों को भी सुविधा होगी। परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

कई बार कई दानी लोग भी यात्री शैड बनाने अथवा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये धन की पेशकश करते हैं। सरकार की यह नीति रही है कि वह पीने के पानी की व्यवस्था के लिये ऐसी पेशकश स्वीकार नहीं करती। परन्तु यात्री शैड बनाने की पेशकशें न तो स्वीकार ही की जाती हैं और न ही ऐसे दानियों की इच्छा को पूरा करने के लिये रेलवे मंत्रालय स्वयं कोई प्रयत्न करता है। अतः रेलवे मंत्रालय को लोगों की इस दयालु प्रवृत्ति की सराहना करनी चाहिये और वे जिस सुविधा के लिये ऐसी पेशकशें करें रेलवे को स्वयं उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये।

Shri Bade (Khargone): The Audit Report of 1964 makes many startling revelations about the funtioning of the Railway Board. Contract for the Construction of a bridge was not given to the lowest tenderer. It is argued by the hon. Minister that the construction of a bridge is an arduous job and cannot be entrusted to inexperienced contractors All right. But why tenders were not invited for the supply of ice-cream. This contract was given

[Shri Bade]

to a private party initially for one year and subsequently extended for another two years without inviting any tenders. No explanation is found in that report for departing from the normal practice. It is really surprising that even wagons could not be traced and Rs. 42,000 had to be written off on that count. It is manifestly clear that the Railway Board is not working satisfactorily. If we point out any defects, we simply voice the feelings of the people of this country. Therefore, the Hon. Railway Minister, instead of shielding the Railway Board, should make endeavours to rectify those defects.

The railway employees are required to submit medical certificate from a railway doctor alone. Sometimes great harassment is caused to them on this count. They have to travel to big stations to fulfil this requirement. Therefore, it should be enough if medical certificate from a Government doctor is submitted in such cases.

There should be a direct train service between Bhopal and Bhilai. I have given a cut-motion on this.

No subsidy should be given to private railway companies. It only increases corruption and those companies do not endeavour to work efficiently and show profits.

A great deal of corruption is prevalent in the matter of weighment of sugarcane at the railway stations. I wrote a letter to the Railway Ministry pointing it out that the railways had suffered a loss of Rs. 4 lakhs on account of under-weighment of sugarcane. In the matter of underweighment of sugarcane at the stations these figures can be easily verified from the entries made in the gate pass when the sugarcane enters the sugar factory. This sort of things should not be allowed to continue.

The scheme for the construction of Dandakaranya-Kiriburu railway line should be finalised early. Railway lines should be laid in the tribal area and the areas where cotton and groundnut are grown in abundance. The Railway Ministry should give serious thought to it.

Complaints from the staff should be promptly attended to. Some cases had to be dropped because of undue delay. Such things should not happen in future.

Same allowance should be paid to the guards as is paid to drivers and the vacant posts of signallers should be filled up without delay. The excess fare charged for Fatehpur-Churu should also be reduced.

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
२	१४	श्री बड़े	उदयपुर–हिम्मतनगर लाइन के मार्ग के बारे में अन्तिम सर्वेक्षण ; डंडाकारण्य–बोलंगीर-किरिबूरू लाइन के बारे में अन्तिम निर्णय करने में देरी।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

१	२	३	४	५
२	१५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश के समस्त भागों में रेलवे लाइनों के संतुलित विकास की आवश्यकता।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
३	१८	श्री बड़े	निजी समवायों को दी जाने वाली अर्थ सहायता में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता।	१०० रुपये
३	१९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	भुगतान करने से पहले चालू लाइनों तथा पुलों का सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता ; गैर-सरकारी समवायों द्वारा चलाई जाने वाली लाइनों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४	२१	श्री बड़े	रेलवे लाइनों के संकेत उपकरणों में मितव्ययिता करने की आवश्यकता।	१,००,००,००० रुपये
४	२४	श्री बड़े	छोटे स्टेशनों को डाक्टरी सुविधायें देने, दुर्घटनायें रोकने ; रात्रि गाड़ियां चलाने ; भोपाल तथा भिलाई और रायपुर को मिलाने ; भोजन की व्यवस्था करने वाले विभाग में मितव्ययिता करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४	२५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	ऊंचे पदों पर सीधे भर्ती करने सम्बन्धी नीति।	१०० रुपये
६	३१	श्री बड़े	शंकर चरण पंचाट को सिगनलरों पर लागू करने में असलफता; संदेशवाहकों तथा सिगनलरों को रात्रि भत्ता देने में असफलता ; फतेहपुर से चुरू तक यात्री किराये	१०० रुपये

१	२	३	४	५
			को कम करने की आवश्यकता।	
६	३२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कोयले की चोरी तथा अपव्यय को रोकने की आवश्यकता।	१०० रुपये
८	३३	श्री बड़े	ए० सी० ट्रेक्शन पद्धति लागू करने तथा अच्छी वर्दी देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९	३४	डा० मा० श्री० अणे	तेज चलने वाली गाड़ियों में भोजन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता तथा अपंग व्यक्तियों के लिये कुर्सियों की असंतोषजनक व्यवस्था।	१०० रुपये
१०	३७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मजदूरों का अनिवार्य बीमा करने तथा कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
११-क	३८	डा० मा० श्री० अणे	सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
११-ख	४०	श्री बड़े	१-४-१९५७ से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
११-ग	४१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	रेलवे कर्मचारियों पर नई योजना लागू करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१४	४७	श्री बड़े	नीमच और कोटा के बीच नई लाइन बनाने तथा वनवासी आदिवासी क्षेत्र में लाइनों के बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	४८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हुबली से कारवार, कारवार से मंगलौर, तथा रायचूर-सिद्धनूर-कुस्तगी से ...डग तक रेलवे लाइन ...नाने की आवश्यकता, ...सूर राज्य में नई लाइनें ...नाने के बारे में उपेक्षा, मंगलौर पत्तन को मिलाने के लिये नई लाइन बनाने की आवश्यकता, हुबली और मंगलौर तथा हुबली और हुतगी के बीच बड़ी लाइन बनाने, सीमान्त क्षेत्रों में लाइनों का विकास करने, होसपेट-कोटुर-हदगली-हरि हर को बड़ी लाइन से मिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	५०	डा० मा० श्री० अणे	अमरावती से नरखेड़ तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ; दड़व्हाड़ और प्रसाड के बीच लाइन को पुनः बनाने की आवश्यकता ; बुटी बोड़ी से डमरेह् तक लाइन बनाने में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१५	५२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	छोटी तथा मीटर-गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	५५	श्री बड़े	जावद रोड स्टेशन पर यात्री-शैड बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
११	५६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	बेल्लारी और गाडग के बीच एक और स्थानीय गाड़ी और बंगलौर और बीजापुर के बीच एक और सीधी गाड़ी चालू करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : सर्वप्रथम मैं सभा का ध्यान मांग संख्या १४ की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक गुजरात का संबंध है झुण्ड-कांडला लाइन का निर्माण किया जाना कांडला पत्तन के विकास के लिये बहुत जरूरी है। कांडला पत्तन प्रतिरक्षा की दृष्टि से देश का एक महत्वपूर्ण पत्तन है। यह समस्या दस वर्ष से चली आ रही है। इस लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है परन्तु अभी तक निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस लाइन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है या नहीं।

पांच वर्ष हुए भावनगर और तारापुर के बीच रेलवे लाइन बनाने के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। अब तक यह पता नहीं लगा है कि इसका निर्माण किया जायेगा या नहीं। गुजरात की जनता की यह मांग है कि इस लाइन का निर्माण कार्य कम से कम चौथी योजना की अवधि में अवश्य हाथ में ले लिया जाना चाहिये।

जब एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया जा रहा है तो रेलवे बोर्ड द्वारा एक पृथक भ्रष्टाचार विरोधी विभाग बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह भ्रष्टाचार विरोधी विभाग सुचारु रूप से तभी कार्य कर सकता है जब उसके अधिकारियों का दूसरे विभागों को तबादला न किया जाये।

यदि रेलवे को व्यापारिक आधार पर चलाना है तो प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। वर्तमान स्टेशनों को फिर से बनाने की बजाय महत्वपूर्ण लाइनों पर पुराने स्लीपर बदलने, तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने तथा अन्य आवश्यक मदों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्रों में छोटी लाइनों और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में तबदील किया जाना चाहिये। जहां तक छोटी लाइनों का प्रश्न है या तो उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये, अन्यथा उनकी ठीक प्रकार से देखभाल की जाये। इस बारे में रेलवे मंत्रालय को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन बना दिया जाये। बम्बई से सौराष्ट्र की ओर एक जनता गाड़ी चलाई जाये। सौराष्ट्र के लोगों को इस गाड़ी से बहुत लाभ पहुंचेगा।

स्टेशनों पर किताब-घर खोलने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाना चाहिये। अन्य व्यक्तियों को भी वहां पर किताब-घर खोलने की खुली छुट्टी होनी चाहिये। नये किताब-घरों के खुलने से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४	२२	श्री नम्बियार	. अन्य रेलों की हावड़ा डिवीज़न के वाणिज्यिक क्लर्कों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना किथूआ, कंचरपाड़ा आदि की मरम्मतशालाओ में संकटकाल की घोषणा से पूर्व का समय लागू करना, आदि।	१०० रुपये
५	२७	श्री नम्बियार	. डिब्बों, इंजन आदि की मरम्मत की आवश्यकता, इंजनों की खराबी रोकने के लिए स्थानीय मरम्मतशालाओं में कर्मचारी बढ़ाना, आदि।	१०० रुपये
६	३०	श्री नम्बियार	. उत्पादन बढ़ाने और अच्छी किस्म की वस्तुएं पैदा करने के लिए रेलवे के कारखानों में प्रोत्साहन की योजना, आदि।	१०० रुपये
१०	३५	श्री नम्बियार	. श्रम कल्याण के उपायों में सुधार, जिन नैमित्तिक कर्मचारियों ने लगातार ६ मास तक कार्य किया हो उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम और छुट्टी आदि के अधिकार देना, आदि।	१०० रुपये
११-ख	३९	श्री नम्बियार	. १-७-१९५७ से पहले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना, आदि।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri D. J. Naik (Panchmahal) : I also support the demand for Jhand-Kandla line, which has been made by several Members. I assume that when the major port is developed there will be much traffic. Therefore it should be converted to a broad gauge line.

[Shri D.J. Naik]

The line from Godhra to Anand has not for replaced since long and it takes 4 to 5 hours to cover a distance of 45 miles. On this line Dakaur is a famous pilgrimage centre. Coal of Madhya Pradesh is also carried on this line to Ahmedabad. Therefore this track should be replaced.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण शनिवार को जारी रखें ।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर घात लगा कर किये गये हमले के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE*: AMBUSH OF INDIAN POLICE PATROL MEN BY PAKISTANI TROOPS

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर भारत की ओर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय पुलिस के गश्ती दस्ते पर घात लगा कर किये गये हमले के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा २४ फरवरी, १९६४ को सभा में दिये गये वक्तव्य और भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाए ।"

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि पाकिस्तानी हमारी भूमि में इस प्रकार का अतिक्रमण करके बच कर निकल गये हैं। इस से पता लगता है कि हमारे विस्तृत सीमांत पर हमारी तैयारी की स्थिति कितनी चिंताजनक है। हमें दो शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें हर समय तैयार रहना चाहिये ।

इस अतिक्रमण के पीछे गहरी चाल है क्योंकि नेहरू-अयूब की संयुक्त विज्ञप्ति के कुछ ही घंटे बाद यह घटना घटी है। पता नहीं कि पिंडी-पेकिंग संधि क्या है किन्तु एक बात स्पष्ट है कि वे इस देश को नुक्सान पहुंचाने और अपमानित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यह बात इस अतिक्रमण से भी प्रमाणित हो जाती है ।

यह अतिक्रमण सीमा की सामान्य दुर्घटना नहीं है बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की सामरिक नीति है। मुझे आशा है कि प्रतिरक्षा मंत्री, सरकार और हमारी सशस्त्र सेनाएं इस बात को अनुभव करती हैं। नीति यह है कि पाकिस्तान मार कर भाग जाने के तरीके अपना कर भारत की प्रतिरक्षा को खण्डित कर देना चाहता है हमें अपमानित करना चाहता है और सारा विश्व देख रहा है कि यहां क्या हो रहा है। इस वर्ष का प्रारम्भ ही ऐसी घटनाओं से हुआ है । ३१ दिसम्बर को हमला करने वाले पाकिस्तानियों ने हमारे सब-इन्सपेक्टर चनसिंह को मार दिया था। ५ जनवरी को पाकिस्तानी विमान अमलोघाट क्षेत्र पर से उड़े थे। ११ जनवरी को समाचार मिला था कि पाकिस्तानी सेनाएं विवादग्रस्त क्षेत्र में घूमती रही हैं और भारतीयों की भूमि पाकिस्तानियों को कृषि के लिए देती रही है इस प्रकार आज तक निरंतर घटनाएं घट रही हैं और यह अन्तिम घटना ऐसी नहीं कि पाकिस्तानियों ने ढोरों या शरणार्थियों पर आक्रमण किया हो बल्कि उन्होंने सीमा पर पहरा देने वाली कड़ी पर आक्रमण किया है ।

सरकार हमारी प्रभुसत्ता पर इस प्रकार के ग्राक्रमणों के प्रति उपेक्षा भाव धारण किये हुए है। बल्कि बिना विभाग के मंत्री ने तो यहां तक कह दिया "कि आप घबरा क्यों रहे हैं"। रूस की सीमा का ५००० बार अतिक्रमण हो चुका है। किन्तु क्या रूस का कभी एक भी व्यक्ति मारा गया है ? क्या उसकी ५००० इंच भूमि भी दूसरों के हाथ में गई है ? जब कि यहां पर अतिक्रमण में या तो हमारी भूमि गई है या हमारे व्यक्ति मारे गये हैं।

श्री चह्वाण ने नेफा सम्बन्धी वाद-विवाद में कहा था कि पीछे जितनी भूल हो चुकी हैं उन पर ध्यान रखा गया है और पुनः ऐसी गलतियां नहीं होंगी किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि पाकिस्तानी देश में घुस आते हैं और मवेशियों को और यहां तक कि स्त्रियों को भी उठा ले जाते हैं।

३०० सशस्त्र नागा भारत से पाकिस्तान चले गये और वैदेशिक-कार्य उपमंत्री का कथन है कि उन्हें इस बारे में पता था किन्तु उन्होंने उन्हें रोकने के लिये क्या किया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री ने वक्तव्य दिया है कि यदि पाकिस्तानी वहां से भागते हुए शरणार्थियों पर गोली चलाते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं ? ठीक है हम क्या कर सकते हैं किन्तु जब पाकिस्तानी हमारे देश में आकर हमारी औरतों के सामने हत्याकांड करते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें नपुंसकों की इस नीति को छोड़ देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हम आत्मरक्षा और आत्मसम्मान की नीति को अपनाएं। प्रतिरक्षा मंत्री ने राज्य सभा में कहा है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यह आश्वासन किस आधार पर दिया है ? क्या यह वैसा ही आश्वासन है जैसा कि प्रधान मंत्री ने दिया था कि नेफा से चीनियों को निकाल देने का आदेश दे दिया गया है। प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि जिन्होंने हम पर आक्रमण किया था हमने उन्हें पूरा दण्ड दिया है। आज यदि कोई मंत्री खड़ा हो कर यह कह सकता है कि जिस किसी ने हमारी सीमा का उल्लंघन किया वह जीता नहीं लौटा तो कितनी प्रसन्नता की बात होती।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

नागालैंड की स्थिति यह है कि हम वर्षों से उनका मुकाबला कर रहे हैं किन्तु उन्हें दबा नहीं सके। इससे चीनी और पाकिस्तानी क्या समझते होंगे ? हमें संसार को बताना चाहिये कि पाकिस्तान शनैः शनैः हमारे प्रति क्या रवैया अपना रहा है। इस मामले के बारे में श्वेत पत्र निकालना चाहिये। यदि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकना चाहते हैं तो उसका उपाय यह नहीं कि आप उन्हें विरोध पत्र भेजते रहें बल्कि हमें सुदृढ़ नीति अपनानी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : श्री नाथ पाई ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उन से मैं पूर्णतः सहमत हूं किन्तु हमें वास्तविक स्थिति को समझना चाहिये।

यह घटना अकेली नहीं है। पिछले कुछ मास से पाकिस्तान निरंतर इस प्रकार की शरारतें कर रहा है। वह न केवल शीत युद्ध चला रहा है बल्कि उसने भारत में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

षड़यंत्र का जाल बिछा रखा है । ६०,००० से अधिक पाकिस्तानी पार पत्र ले कर भारत में रह रहे हैं । हमें देश में गड़ बड़ को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

विश्व के दो शांतिप्रिय देश पाकिस्तान और चीन जनता की राय जानने के लिए एकत्र हो गये हैं । जब कि पाकिस्तान में तानाशाही सरकार की स्थापना हुई है । हमें विश्व के जनमत को अपने पक्ष में तैयार करने के लिए तुरंत पग उठाने चाहियें । संसार को बताना चाहिये कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का विनाश किया जा रहा है । जो लोग अवैध रूप से यहां घुस आये उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिये । हम शांति प्रिय हैं किन्तु हमें अपमान को नहीं सहना चाहिये ।

पवित्र बाल की चोरी होने पर एक बात सर्वथा स्पष्ट हो गई है कि कश्मीर के लोग धर्मनिर्पेक्ष हैं । काश्मीर को भारत में मिलाने का कार्य शीघ्र करना चाहिये । प्रतिरक्षा मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि यदि पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो हम उन्हें मार भगायेंगे ।

श्री दाजी (इंदौर) : इस मामल का पूरा ब्योरा हमारे सामने रखा गया है । यह घात लगा कर आक्रमण करना वायु अतिक्रमण मात्र नहीं है बल्कि हमें पाकिस्तान के रवैये को समझना चाहिये । उसने यह सब किसी योजना के उद्देश्य से किया है ।

हमारी असफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि हमारे समाचार के प्रकाशन के २४ घंटे पूर्व पाकिस्तान रेडियो ने यह समाचार प्रसारित कर दिया था कि पाकिस्तानी योधाओं ने अतिक्रमणकारी भारतीयों में से अनेक को मार डाला है ।

काश्मीर के मामले में इंगलैंड और अमरीका पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं । हमें उन्हें जतला देना चाहिये कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम काश्मीर के बारे में कोई विवाद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं ।

भारत में में कभी भी युद्ध की लालसा नहीं हैं । कुछ महीनों की घटनाओं से पता लगता है कि हमारी सेनाएं सतर्क नहीं हैं । हमें प्रतिरक्षा की पूरी तैयारी करनी चाहिये । राजनयिक दृष्टि से हमें चीन और पाकिस्तान दोनों को एकाकी बना देना चाहिये ।

यदि हम गतिशील राजनयिक नीति को अपनाएं तो नवोदित राष्ट्रों को अपने साथ मिला सकते हैं । ये राष्ट्र शीघ्र जान जायेंगे कि फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमरीका साम्राज्यवादी नीति को अपना रहे हैं । स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन करने से हम किसी गुटबंदी में शामिल नहीं होंगे । हमें उन शक्तियों का सहायक बनना चाहिये जो साम्राज्यवाद का मुकाबला करना चाहती हैं ।

श्री नि० चं० चटर्जी (वर्दवान): मुझे इस बात का हर्ष है कि सदन इस बात के लिए सहमत है कि इस प्रश्न पर दलगत दृष्टि से विचार न किया जाए । यह तो बहुत ही महत्व का राष्ट्रीय प्रश्न है । यह कोई अलग थलग धरना नहीं । यह तो सोची समझी योजना है ताकि ऐसा करके श्री भुट्टो सुरक्षा परिषद् में कोई शरारत कर सके । इसी पृष्ठ भमि में पिंडी–पेकिंग करार हुआ है । यह तो उस चाल का ही एक

भंग है कि भारत को बदनाम करने के लिए तनाव की स्थिति को बराबर बनाये रखा जाए। यह केवल काश्मीर ही की बात नहीं, बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं, पर भी पाकिस्तानी गड़बड़ चल रही है। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस मामले में सचेत रहें। ४०० मील की राजस्थान सीमा की प्रतिरक्षा पर ६० लाख खर्च हो रहा है। पंजाब की ५०० मील की सीमा पर ३ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बंगाल की सीमा १३०६ मील की है परन्तु यहां केवल १,२५,००,००० रुपये खर्च किये जाते हैं। परिणाम यह है कि यहां निरन्तर घुसपैट, अपहरण और गड़बड़ के मामले होते रहते हैं। पशुओं को उड़ा ले जाने की बात तो आम है। सीमाओं पर इस क्षेत्र में चौकियों की संख्या बहुत ही कम है और उन में जनशक्ति भी काफी नहीं है।

पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर काफी सेना भेजी जानी चाहिए। करीमगंज पर भी पाकिस्तान ने हमला किया है। परन्तु हम उत्तर में कुछ भी नहीं कर सके। हमारी चौकियों को भी गोली चलने पर जवाब में गोली चलानी चाहिये। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। न कि यह दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल तैयार नहीं। पता नहीं हम क्या करते रहे हैं। आज हजारों की संख्या में हिन्दू और ईसाई पाकिस्तान से आ रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमें पाकिस्तान तथा उसके मित्रों को बता देना चाहिए कि पाकिस्तान काश्मीर का शोर मचा रहा है। काश्मीर की समस्या यही है कि पाकिस्तान ने वहां हमला किया है और अब उसे उस क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। हमें अपना निराशावाद छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान से लगती सभी तरह की गड़बड़ को रोकना चाहिए।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The first thing that I want to State is that Government should get rid of its defeatist mentality. Today the whole world is regarding us as a demoralised Nation. This sense has lowered the morale of the people. It is time when this feeling should be shaken off. We should make this clear to the whole world that we were determined to line with honour, self-respect and not with humiliation. It is better to die with grace than to lead a life of humiliation.

A few Pakistanis are troubling us and we find ourselves unable to do anything in this regard. I may also submit that the time for preaching non-violence had gone and it is time now to act. Even the Ministers should also have military training. The entire nation should be militarized and military training should be imparted to the boys and girls. That whould create confidence in the nation with regard to defence. I would also urge the Government to increase the emoluments of the Jawans.

For Kashmir, we will have to adopt the policy of blood and iron, as stated by Great Bismark.

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (होशियारपुर) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें अपने को अपनी प्रतिरक्षा के लिए तैयार करना है। स्थिति बहुत ही गम्भीर है और उसका पूरी यथार्थवादिता से उपचार किया जाना चाहिए। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने राज्य सभा में घोषणा की है कि हम पूरी तरह से शक्तिशाली हैं और यदि किसी ने हमारी सीमा पर गड़बड़ की अथवा युद्ध विराम रेखा को पार किया तो उन्हें पूरी तरह हमारी शक्ति का परिचय प्राप्त हो जायेगा। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक मामले का अध्ययन कर रहे हैं।

यह ठीक है कि पदासीन दल में पराजित मनोवृत्ति पैदा हो रही है, परन्तु इस पराजित मनोवृत्ति का निर्माण वे भाषण है जो कि विरोधी पक्ष के नेता गत दो वर्षों में कर रहे हैं। हमें इस दृष्टि से समस्या पर विचार करना है कि हम युद्ध चाहते हैं अथवा शांति। साथ ही हमें अपनी प्रतिरक्षा स्थिति को मजबूत करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक जाल फैंकने का प्रयत्न कर रहा है। उसकी इच्छा है कि हम किसी युद्ध की लपेट में आ जायें। चीन की भी यही इच्छा थी। हमें इन सब बातों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए और पूर्ण जागरूक रहना चाहिए ताकि हम किसी तरह के जाल में न फंस जायें। प्रतिरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से उन लोगों को अस्त्र शस्त्र दिये जायें जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। उनको हथियारों के साथ साथ समुचित प्रकार की सैनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ऐसा करने से लोगों में आक्रमणकारी का मुकाबला करने की भावना पैदा होगी। यदि ऐसा न किया जाय तो आक्रमणकारी को बहुत प्रारम्भिक लाभ प्राप्त हो जाता है।

पाकिस्तान को भी सीधे राह पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसके लिए उस पर पूरी तरह से दबाव डाला जाना चाहिए। पाकिस्तान की खतरनाक चालों को रोकने के लिए सीमाओं को दृढ़ बनाया जाना चाहिए।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Since long Pakistan's attitude towards India has been objectionable. So far Pakistan had been kidnapping our fishermen, farmers etc., but now our armed patriots have been killed and thrown into the Kishenganga. They practically destroyed every shed of evidence. This is something very serious, which the Government should deal with an iron hand. We must have to adopt the policy of bullet for bullet. In order to face the situation and to prepare the people, inhabitants of the border areas should be armed. We have to inculcate the martial spirit amongst our people.

We have great respect for defence forces who are fighting on our borders, but I want that a spirit ought to be created to resist aggression amongst our people also. We know that our military can fight Pakistan, but it is not possible to send military every where. We should ever remain vigilant about the designs of Pindi-Peking arises. The whole world should be told about the mischiefs of Pakistan and her allies.

We should also tell U.K. and U.S.A. that India will not any longer tolerate mischief of Pakistan and that if she got prompting and encouragement from U.K. we should no longer remain in Commonwealth. Pakistan believes in the policy of bullying, bluffing and black mailing. I request the Minister of Defence to tell the House that what steps Government had taken to safeguard the inviolability of our frontiers. In this way the doubts of the general public will be removed. The defence Minister should clearly tell the House all about our defence preparedness and the policy underlying this.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : जो कुछ श्री नाथपाई ने कहा है कि यह विचार लगभग सारे सदन का है। आज जो हमें दुख और रोष है यह स्वाभाविक ही है। हमारी सीमाओं पर हमारा अनादर हो रहा है। इस सब का कारण पिंडी-पीकिंग करार है और हमारी कीमत पर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है।

यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी चुनौती स्वीकार कर उनको इन गड़बड़ों से रोकें। हमें उनकी चुनौती के लिए बड़े व्यापक जवाब की व्यवस्था करनी होगी। हमें उसका मुकाबला न केवल युद्ध क्षेत्र में ही प्रत्युत कूटनीतिक क्षेत्र में भी करना होगा। पाकिस्तान को यह बता दिया जाना चाहिए कि उसे उसकी शरारत के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ तुरन्त बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के बारे में हमें किसी प्रकार के सन्देह में नहीं रहना चाहिए। हमें पश्चिमी शक्तियों को भी स्पष्ट बता देना होगा कि यह जो पिंडी-पीकिंग की तरह की नयी नयी दोस्तियां विश्व राजनीति में शक्ति के सन्तुलन में भारी गड़बड़ियां पैदा करने वाली हैं। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में किसी प्रकार की भी घुसपैठ सहन नहीं करेंगे। भारतीय अधिकारियों को उठा कर ले जाना, औरतों का अपहरण करना, पशुओं को भगा ले जाना, सीमा पर गोलियां चलाना इत्यादि, बहुत ही गम्भीर समस्यायें हैं। आखिर कब तक शरीफ बन कर हम इन शरारतों को सहन करते रहेंगे। हमारी इस कमजोर नीति के कारण सर्वत्र हमारा अनादर हो रहा है।

पाकिस्तान हमारे विरुद्ध बड़ा भंयकर प्रचार करके हमें बदनाम करने का कुप्रयास कर रहा है। उसका उद्देश्य यह है कि संसार हमें सन्देह की दृष्टि से देखने लग जाये। पाकिस्तान की ताजा शरारत की ओर मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। पाकिस्तान रेडियो ने यह घोषणा आज सुबह की है कि भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने पाकिस्तान में घुसपैठ किया है और उसे बहुत बुरी तरह से मार भगाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री इस संबंध में विस्तार से सदन को जानकारी दें, और बतायें कि वास्तविकता क्या है। हमें अपने विदेशी प्रचार के कार्य का भी पुनर्गठन करना होगा और संसार के सामने पाकिस्तान को नंगा करना ही होगा।

सीमा सुरक्षा की ओर हमें आगे से अधिक ध्यान देना होगा। इसका प्रभावशाली ढंग से संगठन करना होगा। सीमा के लोगों को समुचित रूप में शस्त्र देने होंगे। अपनी व्यापक सीमाओं पर इस प्रकार की सशस्त्र व्यवस्था करनी होगी कि यदि पाकिस्तान कोई शरारत करे तो उस का उसे समुचित उत्तर दिया जा सके।

Shri Bade (Khargone) : I support the resolution put forward by Shri Nath Pai. After the speech of Shri Nath Pai the Defence Minister should be inspired to do something to meet the Pakistan's aggession. We must see that Pakistan after getting the reverse at the security council wanted to create some crisis. So she had made up a plan to violate the cease-fire-line in Kashmir. In this task Pakistan is getting prompting and encouragement from the Chinese Premier Chou-En-Lai. First and the foremost thing is to get this Kashmir aggression vacated by Pakistan. We should take effective steps in this direction. The whole world should be told that there was no more Kashmir problem now. Pakistan army is stationed on the Eastern and Western borders in very large number. If they advance towards this side of the border, then we shall to fight with them.

I am of the opinion that the congress Government is responsible for the demoralization of the Indian people. The nation had ungrudgingly granted about Rs. 900 crores to the Government for the defence of the Country. But it is regretted that nothing substantial had been done in this connection. We are now friendless in the world. Therefore we shall to fight with bravery, brain and bullet. Our present miserable plight in the international field is due to the policy of Shri Nehru and very difficult situation has been created for us. I appeal to the people that we should not celebrate holi this time.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : मैं जो भी आज कुछ कहूंगा, उसमें मेरी भावना आलोचना करने की नहीं है प्रत्युत् रचनात्मक दृष्टिकोण से ही मैं ये बातें कह रहा हूं। पाकिस्तान यह प्रयत्न कर रहा है कि ऐसी स्थिति का निर्माण हो कि मामला पुन: सुरक्षा परिषद में लाया जा सके। उनका संबंध पीकिंग से बढ़ ही गया है। पाकिस्तान आसाम में भी वैसी ही स्थिति का निर्माण कर रहा है जैसी कि काश्मीर में है। यदि हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान न दिया तो वहां भी जनमत संग्रह करने की मांग आने लगेगी। पता नहीं सरकार का ध्यान उन घटनाओं की ओर गया है अथवा नहीं जो कि गत दो मास में वहां हुई हैं। आसाम में पाकिस्तान के समर्थक काफी संख्या में हैं। नागाओं के विद्रोह को भी पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि आसाम राज्य सरकार में भी ऐसा वर्ग है जो कि पाकिस्तान का समर्थक है। क्या हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी को इन बातों का पता नहीं। पाकिस्तान और चीनी साधनों द्वारा आसाम में गड़बड़ करने के लिए धन आ रहा है। यह भी मुझे पता चला है कि सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। गत दो मास में वहां बहुत सी घटनायें हो चुकी हैं।

जो कुछ वहां हुआ भी वह सरकार के सामने है। आप यह नहीं कह सकते कि यह सब मैं इस लिए कहता हूं कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है। यह सचमुच बड़ा गंभीर मामला है। प्रतिरक्षा मंत्री को सारी स्थिति की छानबीन करनी चाहिए। और इस दिशा में भी उसी तरह सतर्कता से कदम उठाना चाहिए जिस प्रकार सरकार काश्मीर में उठा रही है। यदि आपने ऐसा न किया तो वहां भी काश्मीर जैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

श्री कपूरसिंह (लुधियाना) : तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है। अत: मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनका सम्बन्ध २१ फरवरी को बारामूला क्षेत्र में किशन गंगो के तट पर हुई घटनाओं के सम्बन्ध में है। उन तथ्यों के बारे में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। परन्तु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के रिडियो ने आज ही यह खबर प्रसारित की है कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना ने उसे मार भगाया। मेरा माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन है कि जब वह उत्तर देने के लिए खड़े हों तो उन्हें इस बारे में फैली भ्रांति को दूर करने का यत्न करना चाहिये।

मुस्लिम देश बदले लेने के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। किसी व्यक्ति या देश से अपने झगड़े सुलझाने में इस सिद्धांत के प्रयोग को वे उचित सपझते हैं। अत: पाकिस्तान के प्रति अपना रुख अपनाते समय हमे उसकी इस मनोवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिये। मैं सरकार को किसी विशेष नीति को अपनाने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहूंगा कि सरकार की शांति की नीति सर्वोत्तम नीति है। मैं यह भी मानता हूं कि शांति की रक्षा के लिये युद्ध करने का निर्णय करना एक बहुत कठिन कार्य है। मैं तो सरकार से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रति हमारे नरम रवैये के कारण आये दिन होने वाली घटनाओं से निपटने के लिये सरकार द्वारा अब तक अपनाये गये तरीकों पर पुनर्विचार किया जाये।

मैं बैठने से पहले प्रतिरक्षा मंत्री से इन तीन प्रश्नों के उत्तर देने के लिये निवेदन करूंगा। (१) क्या किशनगंगा नदी के किनारे हुई घटनायें तथा श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में उल्लिखित घटनायें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का

एक रूप मात्र हैं या ये केवल पाकिस्तान के चिड़चिड़े स्वभाव को प्रदर्शित करती हैं ? (२) यदि ये घटनायें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिये की जा रही हैं तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि काश्मीर में हुई वर्तमान राजनीतिक हलचल से इनका सम्बन्ध है ? (३) सरकार ऐसी घटनाओं से किस प्रकार छुटकारा पाने का विचार रखती है ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) :—Pakistan has been indulging in acts of hooligansn, arson, murders and dacoities across the Indian border since independence. Mass scale murders of Hindus have taken place several times in East Pakistan. Pakistani agents have been working in India for instigating communal elements here. The Mangla Dam is being constructed on the Indian soil. All these things are a positive proof of Pakistan's deep-rooted hatred and enmity for India. In the present circumstances, Pakistan would not allow India to live in peace.

Whatever may be their differences among themselves inside Pakistan, but the people of Pakistan speak with one voice so far as their opposition towards India is concerned.

The Foreign Minister of Pakistan, Mr. Bhutto accused India of raiding the Pakisan border a number of times. But in his reply, our representative, Shri M.C. Chagla, exposed the Pakistani designs and stated that Pakistan had raided the Indian border 1500 times during the last 15 years. It is, therefore, surprising that our Government has not adopted a firm attitude towards Pakistan in spite of so many raids on our borders.

An hon. member got angry after hearing the speech of Shri Yashpal Singh and accused him of defeatist mentality. But I maintain that instead Shri Yashpal Singh's speech speaks of the self-respect that he possesses. We daily read in the newspapers incidents of lifting of camels, killing of personnel of Indian Check-posts of missing Indian planes etc. These incidents have made the Indian people ponder over whether our army has become so weak that it cannot repel these attacks or whether our Government has become so important that it cannot defend the people of this country from the onslaughts from the Pakitani side. It is therefore, high time that we should give a go-by to the policy of appeasement and adopt an aggressive attitude towards Pakistan. We can ward off the accusation of defeatist mentality hurled upon us.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[**Mr. Deputy Speaker** *in the chait*]

The 2 lakh Pakistanis living in India with passports and without passports and those who have infilterated into Assam area not going to help India in event of a major crisis developing between India and Pakistan. Therefore, Government should give a serious thought to this matter. The way the Muslim population is increasing in the border districts of Rajasthan is a clear proof of Pakistan's ill intentions towards India.

Mahatma Gandhi was the staunchest supporter of non-violence. But his non-violence never stood in our way. In a book written by Prof. A.N. Bali, an incident is narrated. Shri Nehru want to seek Gandhiji's advice about marching the Indian army to Kashmir and asked him whether his policy of non-violence did not stand in the way of sending Indian troops to Kashmir. Gandhiji retorted that instead of sending the Indian troops to the hilly areas of Kashmir to perish there, they might be sent to Karachi through Lahore and Sialkot.

This was Mahatma Gandhi's non-violence. The Defence Miniser should tell Pakistan in clear terms that India would no longer tolerate any provocations from the Pakistani side. He should also tell Pakistan that if any more Hindus are compelled to come to India from East Pakistan owing to Pakistani oppression, Indian Government would no doubt settle them in India but will demand land in compensation from Pakistan. By adopting this attitude alone can we keep the honour of this country.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The Defence and foreign policies of the Government have landed us in a situation where we face an enemy in front of us and another on our back—that is China and Pakistan. There are three alternatives to get out of this predicament. One is that we should settle our disputes with Pakistan to confront the Chinese menace. The other is we should make settlement with China and then face Pakistan. The third one is that we should settle our differences with both of them. It seems that the Governmnt was following the policy of friendship with China wnen it allowed the Chinse to build a road in Aksai Chin. As our Government was annoyed with Pakistan becuse of Pakistan's membership of SEATO and SENTO, it thought the construction of that road a trivial matter. The result was that that area of Ladakh was taken over by the Chinese. I therefore, warn the Government not to deal with any situation in a piecemeal manner. A firm stand should be taken and Government should not adopt a wavering attitude. Take for instance the happenings in East Pakistan. I do not mind if the country goes to mins to uphold a particular stand. But I do not want this wavering policy which this Government has been pursuing, since the last fifteen years. So long as these evasive and weak policies are not given up we cannot get out of this impasse.

So far as the presence of American Seventh Fleet in the Indian Ocean is concerned if our Government thinks its presence in the Indian Ocean necessary, it should initiate talks with the U.S. Government with a view to help settle the Tibet problem and the problem arising out of inhuman killings of minorities in East Pakistan. Government should learn to take advantage of a particular situation and try to benefit by it. We should adopt a firm attitude when we have to face a situation like the one creaed in East Pakistan recently.

In the end, I would say that we should be always prepared to face any external danger and not get panicky incase the situation takcs a serious turn.

I say with all the emphasis at my command that we should state our policy in clear terms, leaving no room for any misconstruction.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : यदि यह मान भी लिया जाये कि पाकिस्तान को काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के बारे में कुछ आपत्ति है परन्तु जहां इस रेखा का कोई सम्बन्ध नहीं है । उन क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों किया जाता है । ज्यादातर जम्मू के निकट ही आक्रमण होते हैं । अत: इस बारे में कुछ कदम अवश्य ही उठाये जाने चाहियें ।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि काश्मीर की समूची सीमा पर सशस्त्र सेना तैनात की जानी चाहिये । यदि सीमा पर आक्रमण किया जाता है तो आक्रमण करने वाले का पीछा किया जाये और उनको बन्दी बना लिया जाये । इससे उनकी आंखें खुल जायेंगी । जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, वैदेशिक कार्य मंत्रालय को काश्मीर के लिये पाकिस्तानियों को अनुज्ञापत्र देते समय सावधानी बरतनी चाहिये । एक पाकिस्तानी नागरिक मौलवी अब्बास को काश्मीर राज्य में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया है । मैं पूछना चाहूंगा कि उसे काश्मीर में जाने की अनुमति क्यों दी गई और उसे पासपोर्ट में दी हुई

अवधि से दो वर्ष अधिक क्यों ठहरने दिया गया। १९६१–६२ में अमृतसर में काश्मीर सरकार की व्यापार ऐजेंसी द्वारा लाहौर तथा रावलपिंडी के लिये कितने टेलीफोन काल बुक किये गये ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की जांच करे। मेरा निवेदन है कि हमें अपनी अन्दरूनी सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों के बारे में सतर्क रहना चाहिये।

जहां तक पूर्वी पाकिस्तान सीमा का सम्बन्ध है वहां से शरणार्थियों का तांता लगा हुआ है। अभी तक तो वहां से केवल हिन्दू ही आ रहे थे परन्तु अब बौद्ध और ईसाई लोग भी आने शुरू हो गये हैं। अतः हमें अपने प्रचार को तीव्र बनाना चाहिये। और विश्व के सामने यह बातें रखनी चाहियें। अगर हम ठीक तरह से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सफल हो जायेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्व की राय भारत के पक्ष में ही होगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो साधारण घटनायें नहीं हैं अपितु इनके पीछे कुछ गोलमाल है। अत: राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर इस बारे में और अधिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इन घटनाओं के पीछे क्या है यह जानने के लिये हमें कुछ राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। पहली वास्तविकता यह है कि हमें दो ऐसे पड़ोसी देशों से निपटना है जिन के कोई सिद्धान्त नहीं हैं। दूसरी वास्तविकता यह है कि काश्मीर में एक लम्बी युद्ध विराम रेखा विद्यमान है। जिस पर गत दस वर्षों से यदा-कदा घटनायें होती रहीं हैं।

हमें यह मानना पड़ेगा कि इस युद्ध विराम रेखा के होते हुए यदा कदा घटनायें होना स्वाभाविक है। परन्तु मुख्य बात यह है कि हम उन घटनाओं का सामना करने में समर्थ रहे हैं अथवा नहीं। जनवरी १९६३ से जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में ऐसी घटनाओं में हमारे १२ व्यक्ति मरे और १८ घायल हुए जब कि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों में से १८ मरे और २३ घायल हुए। अतः स्पष्ट है कि हम ऐसी वारदातों का सामना करने में समर्थ हैं।

कल ही, २६ फरवरी को हमारी पुलिस गश्ती टुकड़ी को दूसरी ओर से कुछ हमलावरों का सामना करना पड़ा। पुलिस टुकड़ी ने उनको खूब पीटा और ३ व्यक्ति मरे छोड़ कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जनवरी में १६ तारीख को एक भिडंत में दो भारतीय मारे गये परन्तु जनवरी के उत्तरार्द्ध में जम्मू के निकट रायगढ़ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में ९ पाकिस्तानी मारे गये और ८ घायल हुए।

मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है जिससे वह सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का मसला उठा सके। अतः जब तक वह ऐसा नहीं कर पायेगा तब तक ऐसी घटनायें होती रहेंगी। मैं श्री दाजी से भी सहमत हूं कि हमारी प्रतिरक्षा तैयारी शांतिपूर्ण ढंग से तथा स्थिति को आंक कर की जानी चाहिये। परन्तु मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमें युद्ध विराम सीमा के दूसरी ओर जाकर समस्यायें खड़ी करनी चाहियें। हम ऐसे मामलों में कमजोर नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

[श्री यशवन्तराय चव्हाण]

इस बार पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी पुलिस की गश्ती टुकड़ी पर अचानक हमला कर दिया और हमारे व्यक्तियों को मार दिया हमारी जानकारी यह है कि हमारे कुछ व्यक्ति उनके पास हैं। मैं उनकी संख्या तथा उनके नाम उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बताना नहीं चाहता । मैं मानता हूं कि सीमा पर हमें अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है । परन्तु स्थिति ऐसी चिन्ताजनक नहीं है जितनी श्री स्वैल समझते हैं।

पूर्वी क्षेत्र के बारे में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी सीमा के बारे में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है । इससे निःसंदेह समस्यायें खड़ी होती हैं? परन्तु हमारे निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद भी पाकिस्तान की निराधार दलीलों के कारण लाठीटीला-डुमबाड़ी क्षत्र में सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है । फिर भी हम तनाव कम व्यय करने के उद्देश्य से इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखेंगे ।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ विमानों को, जो अभी हाल में लापता हुए हमारे विमान की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे, पाकिस्तान क्षत्र के कुछ रेडियो स्टेशनों द्वारा दिशा सम्बन्धी गलत संकेत दिये गये । हमने पाकिस्तान सरकार को इस बारे में एक विरोध पत्र भेजा है । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि पाकिस्तान इस समस्या को बनाये रखना चाहता है। हम भी इस समस्या के प्रति जागरूक हैं। हमारी जानकारी के अनुसार सीमा पर पाकिस्तानी फौजें जमा नहीं हुई हैं अतः भारत पर आक्रमण का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु यदि भारत पर ही आक्रमण किया जाता है तो हम उसका सामना करने के लिये तैयार हैं। यह मैं पूरी जिम्मेदारी महसूस करके कह रहा हूं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : यह जानकारी लोगों को पहले क्यों नहीं दी गई कि घुसपैठ करने वालों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें पीछे हटाया गया तथा हमने उनके क्षेत्र में अवैध प्रवेश नहीं किया ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमें इस सभा को यह जानकारी पहले देने का अवसर ही नहीं मिला । पाकिस्तान ऐसे समाचार जल्दी प्रसारित कर देता है क्योंकि उसे तो इनकी पहले ही जानकारी होती है । हमें यह समाचार २४ घण्टे देर से मिला क्योंकि हमें ऐसी घटना होने की आशा न थी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पाकिस्तान से आज प्रातः यह समाचार प्रसारित किया गया है कि भारतीय गश्ती टुकड़ी ने पाकिस्तानी सीमा में अवैध प्रवेश किया । सरकार को इस बारे में क्या कहना है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने पहले बताया कल ही कुछ पाकिस्तानियों ने ११-०० म० पू० बजे हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया । हमारे गश्ती दल ने उनको देख लिया । दोनों ओर से गोलियां चलीं । पाकिस्तानी अपने ३ मृत व्यक्तियों को छोड़ कर भाग निकले । चूंकि उनके तीन मृत व्यक्तियों के शव हमारे पास हैं अतः उन्होंने यह साबित करने के लिये कि हमने उनके क्षेत्र में घुसपैठ की है यह समाचार प्रसारित किया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह जानकारी प्रातःकाल ही दी जानी चाहिये थी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सूचना मुझे केवल उस समय मिली जब मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिये आ रहा था।

श्री स्वैल : क्या सरकार इस अवसर का लाभ उठाकर इस तथ्य का प्रचार समूचे ईसाई समुदाय में करेगी कि एक लाख ईसाई पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आसाम में आ रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमें इसके बारे में विचार करेंगे। सीमा पर हुई घटनाओं से हमें आतंकित नहीं होना चाहिये क्योंकि हमने ऐसी घटनाओं का डट कर मुकाबला किया है। परन्तु जहां तक चीन तथा पाकिस्तान द्वारा मिलकर भारत पर आक्रमण करने का प्रश्न है यह एक भिन्न बात है। मुझे नहीं पता कि रावलपिंडी और पेकिंग के बीच सड़क बनाने के प्रस्ताव के पीछे उनका क्या अभिप्राय है। यदि वास्तव में ऐसी सड़क का निर्माण किया जायेगा तो हम जरूर कोई कार्यवाही करेंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे।

श्री नाथ पाई से और इस सभा से मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा तैयारी के बारे में मैंने जो आश्वासन दिये हैं वे बहुत सोच विचार के बाद दिये हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Exactly the same thing Shri Krishana Menon also used to say.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं श्री नि० चं० चटर्जी को यह बता देना चाहता हूं कि मैं जिस समय यह महसूस करूंगा कि मैं देश की ठीक प्रकार सेवा नहीं कर रहा हूं मैं किसी के बिना कहे अपने पद से हट जाऊंगा। मैंने सेना अधिकारियों से बातचीत करने के उपरान्त ही ये आश्वासन दिये हैं।

श्री नाथ पाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं के पीछे जो अभिप्राय है वह स्पष्ट है। राजा गजनफर अली खां ने हमारे देश के प्रति पाकिस्तान का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने लाहौर में यह नारा लगाया था कि "हंस के लिया पाकिस्तान" लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान।" पाकिस्तान उसे भूला नहीं है। इसके साथ ही साथ चीन का अभिप्राय भी स्पष्ट है चीन के माऊ त्से-तुंग ने चीन की यात्रा पर गये एक सम्माननीय अतिथि से यह कहा बताते हैं कि भारतीय सेना है ही कहां वह युद्ध के समय अदृश्य है और शांति के समय अजेय है। हमें इन दोनों शत्रुओं का सामना करना है। मैं प्रतिरक्षा मंत्री की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें रेखा के दूसरी ओर जा कर घुसपैठ करने वालों का पीछा नहीं करना चाहिये। वे कहते हैं कि इससे कई कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं और पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का मामला ले जाने का अवसर मिल सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तानी सैनिक हमारी सीमा में घुस आते हैं तो कुछ भी नहीं होता और यदि हम उनकी सीमा में चले जाएं तो इससे लड़ाई छिड़ जाने की डर है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम उनको उनकी भाषा में उत्तर नहीं देंगे तब तक उनको अक्ल नहीं आयेगी।

[श्री नाथपाई]

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी प्रतिरक्षा तैयार जारी है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सतर्कता के बावजूद भी हज़ारों पाकिस्तानी हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से कैसे घुस आये। सीमा पर पहरेदारों के न होने के कारण ही ऐसा हो सकता है। हम इन घुसपैठों को रोक नहीं पाये हैं। ये सब बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं।

पाकिस्तान तथा चीन की एक दीर्घकालीन चाल है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारतीय अकेले कब तक लड़ते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गत वर्षों की नीतियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। परन्तु हमें इसका सामना करना है। हम दबाव में आकर इन दोनों देशों में से किसी के झूठे दावों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। हमें इस वास्तविकता को देखते हुए तैयारी करनी चाहिये कि हमें दो सिद्धान्तहीन शत्रुओं का सामना करना है।

हमें सीमान्त क्षेत्रों में और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्कता के अभाव के कारण ही पाकिस्तानी सैनिक हमारी पुलिस की गश्ती टुकड़ी को समाप्त करने में सफल हो सके।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री के आश्वासन का स्वागत करता हूं परन्तु मैं समझता हूं कि पाकिस्तान केवल सुरक्षा परिषद् में काश्मीर समस्या को ले जाने के अवसर की तलाश में ही नहीं है अपितु वह बहुत अधिक शरारत करने पर तुला हुआ है। हमें सरकार की ओर से और अधिक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। हमें अपने अन्दर और अधिक विश्वास पैदा करने तथा अपने चरित्र को और ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। हम देश को हर समय इस तरह तैयार रखना चाहते हैं जिसमें कि पाकिस्तान अथवा चीन को भारत की शक्ति आजमाने का साहस ही न हो। जब सरकार यह आश्वासन देने की स्थिति में हो जायेगी तभी हम समझेंगे कि इस वाद-विवाद से कुछ लाभ हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हुई।

एक आधे घण्टे की चर्चा है। क्या माननीय सदस्य आध घण्टा अधिक बैठने के लिये तैयार हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर किसी अन्य दिन चर्चा की जायेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २९ फरवरी, १९६४/१० फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, February 29, 1964/Phalguna 1885 (Saka)

MGPIND—LS III—2422 (Ai) LSD—27-5-64—600